रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221491
CG-DL-E-01092020-221491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
No. 224] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

मामला सं. (ओ आई) 14/2019

विषय : सउदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) के मूल अथवा वहां से निर्यातित फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/20/2019–डी जी टी आर.—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और उसके समय समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात "नियमावली" के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में:

2. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमि. (इसके पश्चात आवेदक के रूप में भी संदर्भित) ने सउदी अरब के साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) (इसके संबद्ध देशों के रूप में भी संदर्भित) से "फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में भी संदर्भित) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) निमयावली, 1995 (इसके पश्चात नियमावली के रूप में भी संदर्भित) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात 'प्राधिकारी' के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क जो, यदि लगाया गया तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए समुचित होगा, की सिफारिश करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18 सितंबर, 2019 की आम सूचना घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किये गये पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जारी की।

क. <u>प्रकिया</u>

4. निम्नलिखित प्रकिया का पालन इस जांच के संबंध में किया गया है :

i. प्राधिकारी को उपर्युक्त निमयावली के अंतर्गत संबद्ध देशों से ''फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल'' के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

ii. प्राधिकारी ने उपर्युकत नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार इन जांचों को शुरू करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में संबद्ध देशों की सरकार को भारत में इसके दूतावासों के माध्यम से अधिसूचित किया।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 18 सितंबर, 2019 को एक अधिसूचना जारी की।

iv. आम सूचना की एक प्रति प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत के बारे में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रषित किया गया था।

v. प्राधिकारी ने इस आवेदन की अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को और संबद्ध देशों की सरकार को इसके दूतावासों के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार लिखित रूप में इस कारण से अनुरोध किया, को उपलब्ध कराई। इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां कहीं भी अनुरोध किया गया था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित किये गये अनुसार समयसीमा अथवा विस्तारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने तथा इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए उन्हें अवसर दिया। प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।

क) मैसर्स सदारा केमिकल्स कं. (एस सी सी), सउदी अरब

ख) मैसर्स नोबल केमिकल मेटेरियल एल एल सी

vii. संबद्ध देशों की सरकारों से भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उच्च आयोग को भी भेजी गई थी।

viii. इस अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करे जवाब दिया।

क. मैसर्स सदारा केमिकल्स कं. (एस सी सी), सउदी अरब (उत्पादक)

ख. मैसर्स डॉव सउदी अरब प्रॉडेक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी. वी. नीदरलैण्ड (निर्यातक)

ग. मैसर्स डॉव केमिकल पेसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमि. सिंगापुर (निर्यातक)

ix. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचनाक की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजीं।

क) शीला फॉम प्रा. लिमि.

ख) प्राइम कम्फोर्ट्स

ग) एम एच पोलिमर प्रा. लिमि.

घ) सोमनी फॉम लिमि.

ङ) त्रूपति फार्म लिमि.

च) दुरा पफ

छ) श्री सिंघल फॉमस प्रा. लिमि.

ज) मल्टीव्यन फॉम प्रा. लिमि.

झ) श्री मलानी फॉम प्रा. लिमि.

ञ) जॉय फॉम प्रा. लिमि.

x. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार परिचालन के लिए तथा आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को आयातक की प्रश्नावलियां भेजीं।

क) एसोचम

ख) एफ आई सी सी आई

ग) सी आई आई

घ) एक्साइज लॉ टाइम्स

ङ) इंडियन पोलिउरेथेन एसोसिएशन

xi. संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातक ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है।

क. डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्रा. लिमि. इण्डिया (निर्यातक)

ख शीला फार्म लिमि.

xii. निम्नलिखित आयातकों/ संघों द्वारा आगे अनुरोध भी दायर किये गये थे।

क) इण्डियन पोलिउरेथेन एसोसिएशन

xiii. प्राधिकारी के नियम 6(7) के अनुसार इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया।

xiv. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातकों के लेन देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा लेन देन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े पर विश्वास किया है। प्राधिकारी ने यथासंभव सीमा तक दायर किये गये उत्तरों को वैध ठहराने के लिए उल्लिखित निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा से सह-संबंध स्थापित करने के लिए जांच की अवधि के लिए डी जी सिस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी आई सी) के आंकड़े भी प्राप्त किये।

xv. उत्पादन की आदर्शतम लागत और सामान्य रूप से स्वीकार्य की गई लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की गई थी, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को इस क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvi. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 04.03.2020 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी उपलब्ध कराये हैं। तदंतर, एक अन्य मौखिक सुनवाई दिनांक 07.01.2011 को सिविल अपील संख्या 949 में ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के देखते हुए दिनांक 15.07.2020 को एक अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों जिन्होंने इन मौखिक सुनवाईयों में भाग लिया था और अपने विचार प्रस्तुत किये थे, से यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप में व्यक्त किये गये अपने विचारों को लिखित अनुरोंधों रूप में प्रस्तुत करें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किये गये लिखित अनुरोधों को संकलित करें और उसके बाद अपने उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया गया था। जांच की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी संगत पाया गया इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में किया गया है।

xvii. आवेदक तथा संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का मौके पर सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उसे संगत माना गया।

xviii. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) 01.04.2018 से 31.03.2019 (12 महीने) है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2016 से मार्च 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और जांच की अवधि के आंकड़े शामिल हैं।

xix. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों जहां भी संगत पाया गया, किया गया है।

xx. गोपनीय आधार इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।

xxi. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 21.08.2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था। उसके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों, प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे संगत माना गया।

xxii. जहां कहीं भी कोई हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना दिये जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/ टिप्पणियों को रिकार्ड किया है।

xxiii. इस दस्तावेज में *** इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

xxiv. जांच की अवधि के लिए विनियम दर प्राधिकारी द्वारा 70.85 रुपए = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पादन और समान वस्तु का क्षेत्र</u>

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल है।

ख 1. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये थे -

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल एक पोलिमर है जो संबद्ध देशों के मूल का है अथवा वहां से निर्यात किया गया है। संबद्ध उत्पाद एक ट्रियोल चैन स्टार्ट के साथ प्रोपीलीन ऑक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड के पोलिमराइजेशन द्वारा निर्मित 3000-4000 मोलेक्यूलर वजन का एक स्पष्ट चिपचिपा तरल पदार्थ है। ये एक पोलियेथर है और केटालिस्ट तथा एडिटिव्स से प्रक्रिया करने पर पोलियूरेथेन फार्म्स का निर्माण करता है, जिसका उपयोग अपहोल स्टडी, गद्दे, तकिया, बोल्स्टर, ट्रांसपोर्ट सिटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है। फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल की ढुलाई टंकरों में की जाती है अथवा स्टील के ड्रम में उसका भण्डारण किया जाता है।

ii. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण उपशीर्षक 3907, 390720, 390791 और 390799 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क का वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

iii. यह ई पी एस पी एल के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने दावे की पुष्टि नहीं की है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का उपयोग उनके उत्पादन की प्रक्रिया में किया नहीं जा सकता है। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात की गई वस्तु समान वस्तु हैं और ग्राहक उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

iv. यह कि उत्प्रेरक के ओ एच अथवा डी एम सी का उपयोग करते हुए निर्माण किये गये उत्पादों का विनिर्देश एक जैसा है और वे समान वस्तु हैं। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि यह एक निर्धारित सिद्धांत है कि इनपुट/ उत्पादन की प्रक्रिया में केवल अंतर इस उत्पाद को तब तक अलग नहीं बनाता है जब तक अंतिम उत्पाद में उस सीमा तक विनिर्देशों में परिवर्तन नहीं हुआ है कि वे एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किये जा सकते हैं अथवा वे प्रतिस्थापनीय हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे ई पी एस पी एल द्वारा किये गये दावे जिसे प्रमाणित नहीं किया गया है, को अस्वीकार कर दें।

v. यह कि आयात की गई वस्तुओं का उपयोग करने के लिए ई पी एस पी एल का विकल्प पूर्णरूप से छूट दी गई उस कीमत से प्रभावित होता है जो उन्हें सेल/ डॉव से प्राप्त होता है। इसके अलावा, उन्होंने अपने आयात किये गये वस्तुओं का तकनीकी ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा, आयातकों/ निर्यातकों से खरीद की कीमत के बारे में सूचना भी प्राधिकारी को इस जांच में सहयोग करने के उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं की गई थी। उसको देखते हुए, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे ई पी एस पी एल द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुरोध को अस्वीकार कर दें।

ख 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों का विचार</u>

vi. ई पी एस पी एल ने यह अनुरोध किया है कि 3000 मेगावाट पोलियोल जिसका वे उपयोग करते हैं तथा आवेदक का पोलियोल सदृश्य नहीं है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की गई प्रौद्योगिकी लागत कार्यक्षम नहीं है। इसके अलावा वस्तुओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है।

vii. इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि डी एम सी प्रौद्योगिकी के ओ एच प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक कार्यक्षम है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता ई पी एस पी एल द्वारा निर्माण किये गये उत्पादों से उपयुक्त नहीं है।

viii. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में इन उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ख 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

ix. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल एक पोलिमर है जो संबद्ध देशों के मूल का है अथवा वहां से निर्यात किया गया है। संबद्ध उत्पाद एक ट्रियोल चैन स्टार्ट के साथ प्रोपीलीन ऑक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड के पोलिमराइजेशन द्वारा निर्मित 3000-4000 मोलेक्यूलर वजन का एक स्पष्ट चिपचिपा

तरल पदार्थ है। ये एक पोलियेथर है और केटालिस्ट तथा एडिटिव्स से प्रक्रिया करने पर पोलियूरेथेन फार्म्स का निर्माण करता है, जिसका उपयोग अपहोल स्टडी, गद्दे, तकिया, बोल्स्टर, ट्रांसपोर्ट सिटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है। फ्लैसिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल की ढुलाई टंकरों में की जाती है अथवा स्टील के ड्रम में उसका भण्डारण किया जाता है (इसके पश्चात ''संबद्ध वस्तुओं'' के रूप में भी संदर्भित)।

x. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और आगे भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907 20 के अंतर्गत ''प्लास्टिक और उससे निर्मित वस्तु'' श्रेणी के अधीन किया जाता है। हालांकि, यह वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जबकि अलग अलग आई टी सी एच एस उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा उद्धृत किया जा सकता है, उत्पाद विवरण को आई टी सी एच एस की तुलना में प्राथमिकता मिलती है क्योंकि वह सांकेतिक है।

xi. ई पी एस पी एल के अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उन्होंने गुणवत्ता में अंतर के अपने दावे की पुष्टि नहीं की है और उनके द्वारा आयात किये गये और घरेलू उद्योग निर्माण की गई वस्तु समान वस्तु नहीं है, यह नोट किया जाता है कि ई पी एस पी एल अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि उन्होंने कोई तकनीकी रिपोर्ट अथवा कोई अन्य सूचना जो उनके दावे को प्रमाणित करता हो, भी उपलब्ध नहीं कराई है। उसको देखते हुए प्राधिकारी ई पी एस पी एल द्वारा किये गये दावे को अस्वीकार करते हैं।

7. समान वस्तु के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है -:

> *''समान वस्तु'' का आशय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सदृश्य अथवा उसी के जैसा हर प्रकार से हो और इस प्रकार की वस्तु के न होने पर, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से एक जैसा नहीं हो, फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तुओं से बिलकुल मिलती जुलती विशेषताएं हों;*

xii. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु इन वस्तुओं के रसायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देश, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार से, प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद जिसका आयात संबद्ध देशों से किया जाता है, के समान वस्तु नहीं हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।

xiii. 15. इस प्रकार से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु इस नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र के भीतर अथवा उसके आशय से संबद्ध देशों से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार</u>

ग 1. <u>घरेलू उद्योग का विचार</u>

8. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं -

i. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमि. द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि उनका जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा है। उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस देश में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात मैसर्स एक्सपेनडेड पोलिमर्स है।

ii. आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/ निर्यातक से संबंधित हैं। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

iii. उपर्युक्त को देखते हुए, चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किया है प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस नियमावली के नियम 2(घ) के आशय से आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में माने क्योंकि यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के संबंध में आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ग 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों का विचार</u>

9. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के आधार और पात्रता को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

10. वर्तमान जांच में यह आवेदन मैसर्स मनाली पेट्रोमिकल्स लिमि. द्वारा दायर किया गया है। जैसा की आवेदक द्वारा दावा किया गया है, मैसर्स एक्सपेटडेड पोलिमर्स सिस्टम प्रा. लिमि. (ई पी एस पी एल) को एक अन्य घरेलू उत्पादक के रूप में माना गया था। हालांकि, इन कार्यवाहियों के दौरान प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ई पी एस पी एल ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बंद कर दिया है। उसको देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।

11. यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देशों में किसी भी निर्यातक से संबंधित नहीं है और इसके साथ ही वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। 12. और यह अनुप्रयोग AD नियमों के नियम 5 के तहत 'स्थायी' की आवश्यकताओं को पूरा करता है और AD नियमों के नियम 2 (b) के संदर्भ में 'घरेलू उद्योग' (DI) का गठन।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक द्वारा उत्पादन भारत में इसी तरह के उत्पाद के कुल उत्पादन का 100% उत्पादन करता है और यह कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत 'आधार' की आवश्यकताओं को पूरा करता है और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में 'घरेलू उद्योग' (डी आई) है1

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ 1. <u>घरेलू उद्योग का विचार</u>

13. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों/ आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता के दावे के संबंध में किये गये विभिन्न अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :

i. निर्यातकों ने अपने उत्तर का सार्थक अगोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराकर भारतीय कानून के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है। इसके अलावा, निर्यातकों/ आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा कर इस पद्धति का मजाक बनाया है।

ii. आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में अनुमति दी गई उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार की सूचना का सार्थक सारांश भी उपलब्ध कराया गया था। हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, निराधार है।

iii. लागत संबंधी सूचना के बारे में किये गये गोपनीयता के दावे के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह लागत गोपनीय प्रकृति की है और इस कारण से घरेलू उद्योग ने गोपनीय के रूप में लागत के बारे में सही तरीके से दावा किया है।

iv. अत्यधिक गोपनीयता का दावा इन निर्यातकों द्वारा किया गया है क्योंकि प्रश्नावलियों के उत्तर का अगोपनीय पाठ इस नियमावली के अंतर्गत यथाअपेक्षित और इस मुद्दे के संबंध में दिये गये अनुदेशों के अनुसार निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये गोपनीय पाठ की सही प्रतिकृति नहीं थी। इसने प्राधिकारी को सहयोग करने के लिए घरेलू उद्योग के दावे को न केवल प्रतिबंधित किया है बल्कि सही निष्कर्ष पर पहुंचने में प्राधिकारी को कमजोर भी किया है।

घ 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों का विचार</u>

i. घरेलू उद्योग ने इस आवेदन में अत्यधिक और अनावश्यक दावा किया है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे ने इन निर्यातकों की टिप्पणी करने की क्षमता पर रोक लगाई है और इसके साथ ही वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इन तथ्यों को उचित रूप से समझने और उसका मूल्यांकन करने की भी अनुमति नहीं देता है1

iii. घरेलू उद्योग के इस आरोप के संबंध में की निर्यातकों द्वारा अत्यधिक दावा किया गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यातकों ने केवल व्यापार संवेदनशील सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

घ 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

14. ओवदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये विभिन्न दावों की जांच और उसका समाधान प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक किया गया है, जो निम्न प्रकार से है :

15. *सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-*

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

16. सूचना की गोपनीयता के संबंध में दिये गये तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। घरेलू उद्योग के आयातों, कार्य निष्पादन संबंधी मानदंडों और क्षति संबंधी मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदनशील सूचना को प्रथा के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

<u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

घ 4. <u>घरेलू उद्योग का विचार</u>

17. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित अनुरोध किया है :

i. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के उद्देश्य से अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपनी याचिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

ii. प्राधिकारी को सउदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और न कि सउदी अरब में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों की गणना करने के लिए उनकी बाजार स्थिति और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ आंतरिक व्यवस्था के कारण आईसीआईएस एलओआर में प्रकाशित कीमतों अथवा अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमत के आधार पर प्रोपीलिन आक्साइड (पी ओ) की बाजार कीमत पर विचार करना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि वे उन घरेलू बिक्रियों पर विचार करें जो विशुद्ध रूप से सउदी अरब में स्थानीय बाजार की खपत के लिए और न कि उन बिक्रियों जिनका अंतिम रूप से लगान सउदी अरब के बाहर किया गया है, के लिए किया गया है।

iv. प्राधिकारी को निर्यात्क और भारत में इसकी संबंधित कंपनी के बीच किये गये लेनदेन की निकटकता से जांच करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को यह आशंका थी कि निर्यातक और इसके संबंधित आयातक के बीच कीमत सही नहीं है और उसे उच्चतर मूल्य पर किया जाना है।

v. प्राधिकारी को सउदी अरब/ सिंगापुर और भारतीय संबंधित आयातकों से अंतिम प्रयोक्ताओं को उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दिये गये बिक्री के बाद छूट की जांच करनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया कि वे उचित तुलना के लिए निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य में आयातक को हुई हानि का समायोजन करें।

vi. यह कि संबंधित आयातक भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री 118 रु से 119 रु. प्रति किग्रा. की कीमत से कम पर रहा है। इसके अलाव, निर्यातक की कीमतों की जांच मैसर्स शीला फॉमर्स लिमि. के उत्तरों से की जा सकती है।

vii. यह कि प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि कच्चे माल की कीमत संबंधित कंपनियों के बीच कच्चे माल के अंतरण के संबंध में बिना किसी प्रभाव के है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि कम से कम अंतरण कीमत की पद्धति के बारे में घरेलू उद्योग को बताया जाना चाहिए था।

घ 5. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों का विचार</u>

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखि अनुरोध किये गये हैं :

i. सउदी अरब में उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और डॉव कंपनियों द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं किया गया है और यह घरेलू उद्योग को क्षति भी नहीं पहुंचा रहा है।

ii. सामान्य मूल्य की संरचना पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी करार (ए डी करार) तथा इसके अलावा, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 (iii) के अंतर्गत निर्धारित मानकों और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन किये बिना त्रुटिपूर्ण और झूठे कसमों के आधार पर है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि क्यों उन्होंने पी ओ की कोरिया में कीमतों का उपयोग किया है विशेष रूप से जब सउदी अरब पी ओ का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त क्षमता और प्रतिस्पर्धी लाभ के साथ पेट्रोकेमिकल में विश्व में अग्रणी है और पी ओ का आयात करने के लिए सदारा के वास्ते कोई अवसर नहीं है।

iii. यह कि इस उत्पाद ने प्राधिकारी को सभी संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए अपने आंकड़ों का सत्यापन करें।

iv. यह कि प्राधिकारी को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अलग अलग पद्धतियों का क्रमिक रूप से उपयोग करने के बाद सामान्य मूल्य की गणना करनी चाहिए। सदारा और डॉव ने निर्यातक और आयातक की प्रश्नावलियों जिसमें जांच की अवधि के दौरान सदारा द्वारा की गई घरेलू बिक्री और तीसरे देश की निर्यात कीमतों से संबंधित प्रारंभिक सूचना के बारे में सभी सूचना शामिल है, का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

घ 6. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

<u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>सामान्य मूल्य की गणना</u>

19. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9A (1) की उपधारा (c) के अनुसार, एक लेख के संबंध में 1975 सामान्य मूल्य:का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

20. जांच की शुरुआत के चरण में आवेदक ने सिंगापुर के आंतरिक लेन देन की उपलब्धता न होने के कारण बीमा और पहुंच शुल्कों के समायोजनों के साथ उत्पादन की लागत की गणना करने के लिए आईसीआईएस एलओआर में प्रकाशित कीमतों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की कीमत के साथ आगे की कार्यवाही की।

21. प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। निम्नलिखित कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है :

क) मैसर्स सदारा केमिकल्स कं. (एस सी सी), सउदी अरब (उत्पादक)

ख) मैसर्स डॉव सउदी अरब प्रॉडेक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी. वी. नीदरलैण्ड (“डॉव मार्केटिंग”) (निर्यातक)

ग) मैसर्स डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा। लिमिटेड सिंगापुर (डॉव सिंगापुर) (निर्यातक)

22. चूंकि उपर्युक्त कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है अत: प्राधिकारी ने इन उत्पादकों के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अनुरोध की जांच की है और जहां भी उपयुक्त हुआ पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

23. संबद्ध देशों में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के सहयोग प्राप्त न होने पर प्राधिकारी ने इस करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

24. तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे दिये गये अनुसार संबद्ध देशों के विभिन्न उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है:

<u>सामान्य मूल्य</u>

मैसर्स सदारा केमिकल्स कं. (एस एस सी), सउदी अरब (उत्पादक), मैसर्स डॉव सउदी अरब प्रॉडेक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी. वी. नीदरलैण्ड (निर्यातक) और मैसर्स डॉव केमिकल पेसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमि. सिंगापुर (निर्यातक)

25. निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स सदारा केमिकल्स कंपनी (एस सी सी अथवा सदारा), सउदी अरब संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि मैसर्स डॉव सउदी अरेबिया प्रॉडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी. वी. नीदरलैण्ड (निर्यातक) और मैसर्स डॉव केमिकल पेसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमि. सिंगापुर (निर्यातक) ने निर्धारित प्रपत्रों में संबंधित प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं।

26. एस सी सी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. ट. विचाराधीन उत्पाद की बिक्री है जबकि इसने जांच की अवधि के दौरान संबंधित और असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से *** मी. ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने सर्वप्रथम इस तथ्य की जांच की है कि क्या संबद्ध देश में संबंधित उत्पादक/ निर्यातक के द्वारा संबंधित वस्तुओं की कुल घरेलू बिक्री प्रतिनिधिक थी जब उसकी तुलना निर्यातक देश में संबद्ध वस्तुओं की उनकी कुल बिक्री से की गई। उसके बाद, इस बात की भी जांच की गई थी कि क्या उनकी बिक्री पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के संबंध में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत थी। मैसर्स एस सी सी ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराया है। उसे प्राधिकारी द्वारा जांच के पश्चात स्वीकार किया गया है और उस पर घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत का निर्धारण करने के लिए विश्वास किया गया है। व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए, संबंधित उत्पाद के उत्पादन की लागत की जांच उत्पादक/ निर्यातक द्वारा रखे गये रिकार्डों के संदर्भ में की गई थी। यह नोट किया गया था कि मैसर्स एस सी सी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी ई आर पी (एस ए पी) पद्धति का उपयोग करते हुए विकसित परिवर्तनशील मार्जिन रिपोर्ट (वी एम आर) प्रस्तुत किया है और उस पर उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए विश्वास किया गया है।

27. इसके अलावा, घरेलू बिक्री से संबंधित सभी लेन देन की जांच संबद्ध वस्तुओं के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन की लागत के संदर्भ में इस बात का निर्धारण करने के लिए किया गया था कि क्या घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थी अथवा नहीं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संदर्भ घरेलू बिक्री का लाभ अर्जित करने वाले लेन देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार के जांच की सामान्य प्रक्रिया अपनाई है। यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन देन 80 प्रतिशित से अधिक हो तब प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देन पर विचार करते हैं। जब लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम हो तब केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार, लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है, चूंकि लाभप्रद बिक्री मात्रा के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक थी। अत: उत्पादक ने अंतर्देशीय भाड़े और ऋण लागत का दावा कारखाने के बाद के खर्चों के रूप में किया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। जैसा की ऊपर में दिया गया है निर्धारित पाटन मार्जिन का उल्लेख पाटन मार्जिन की तालिका में किया गया है।

<u>सउदी अरब के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

28. यह नोट किया जाता है कि सउदी अरब के किसी भी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को ध्यान में रखकर प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसकी गणना और जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

मैसर्स सदारा केमिकल्स कं. (एस एस सी), सउदी अरब (उत्पादक), मैसर्स डॉव सउदी अरब प्रॉडेक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी. वी. नीदरलैण्ड (निर्यातक) और मैसर्स डॉव केमिकल पेसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमि. सिंगापुर (निर्यातक)

29. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एस सी सी डॉव मार्केटिंग को संबद्ध वस्तुओं की समग्र मात्रा की बिक्री करता है। भारत को निर्यातों के लिए, डॉव मार्केटिंग असंबंधित और संबंधित भारतीय आयातकों को फिर से बिक्री करने के लिए डॉव सिंगापुर पर बीजकों में वृद्धि करता है। जांच की अवधि के दौरान, डॉव सिंगापुर ने डी सी आई पी एल को संबद्ध वस्तुओं की *** एम टी एम टी और असंबंधित आयातकों को *** एम. टी. की बिक्री की है। प्राधिकारी ने सदारा और डॉव मार्केटिंग तथा डॉव सिंगापुर के उत्तरों का सत्यापन किया है तथा उसको सही पाया गया है।

30. प्राधिकारी ने सदारा और डॉव मार्केटिंग तथा डॉव सिंगापुर तथा डी सी आई पी एल के उत्तरों की जांच उस सीमा तक की है जिस सीमा तक इसे आवश्यक माना गया। यह भी नोट किया जाता है कि डॉव सिंगापुर को जांच की अवधि के दौरान पी यू सी के निर्यात पर हानि हुई है। डी सी आई पी एल ने भी भारत में विचाराधीन उत्पादों पर घाटा उठाया है।

31. कारखानागत निर्यात कीमत तय करने के लिए प्राधिकारी ने डॉव सिंगापुर से पीछे की ओर डॉव मार्केटिंग से सदारा तक गणना करते समय सभी निर्यातक कंपनियों तथा भारत में समग्र निर्यात चैन में उत्पादक के द्वारा वहन किये गये खर्चों पर विचार किया है। तदनुसार, भाड़े, ऋण लागत, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्चे, अतर्देशीय ढुलाई, बीमा और बीजक कीमत से अन्य कारखाना पश्चात खर्चों के आधार पर समायोजन किये गये हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने डी सी आई पी एल द्वारा उठाई गई हानि के आधार पर समायोजन किया है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत की गणना और उल्लेख पाटन तालिका में किया गया है।

32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एस सी सी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को मैसर्स मैसर्स डॉव सउदी अरब प्रॉडेक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी. वी. नीदरलैण्ड (निर्यातक) और मैसर्स डॉव केमिकल पेसिफिक (सिंगापुर) के माध्यम से *** मी. ट. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। *** मी. ट. में से, *** मी. ट. का निर्यात भारत में डॉव इंडिया (संबंधित आयातक) और *** मी. ट. असंबंधित आयातकों को निर्यात किया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत को तय करने के लिए, प्राधिकारी ने भाड़े, ऋण लागत, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्चे, अतर्देशीय ढुलाई, बीमा और बीजक कीमत से अन्य कारखाना पश्चात खर्चों के आधार पर समायोजनों पर विचार किया है। अलावा, प्राधिकारी ने डी सी आई पी एल द्वारा उठाई गई हानि के आधार पर समायोजन किया है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत की गणना और उल्लेख पाटन तालिका में किया गया है।

<u>सउदी अरब से सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

33. यह नोट किया जाता है कि सउदी अरब के किसी भी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को ध्यान में रखकर प्राधिकारी ने नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिसकी गणना और जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>यू ए ई से अन्य सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

34. यह नोट किया जाता है कि यू ए ई के किसी भी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को ध्यान में रखकर प्राधिकारी ने नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसकी गणना और जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>यू ए ई के अन्य सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

35. यह नोट किया जाता है कि यू ए ई के किसी भी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को ध्यान में रखकर प्राधिकारी ने नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिसकी गणना और जिसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

36. उपर्युक्त के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है :

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य/ सी एन वी (यू एस डॉ/ किग्रा.)	निर्यात कीमत (यू एस डॉ/ किग्रा.)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉ/ किग्रा.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
सउदी अरब	सदारा केमिकल कं.	***	***	***	***	20-30
	अन्य	***	***	***	***	20-30
यू ए ई	सभी उत्पादक	***	***	***	***	0-10

37. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ङ <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध</u>

38. क्षति, संभावना और कारण पर विचार निम्नानुसार हैं:

ङ 1. <u>घरेलू उद्योग का विचार</u>

i. यह कि डॉव इंडिया (संबंधित आयातक) भारत में उस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री कर रहा है जो आयात की गई कीमत से कम है और इसके कारण इसे हानि हो रही है। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित आयातक घरेलू उद्योग की कीमतों का मुकाबला करने के लिए बिक्री के बाद छूट दे रहा है और इस प्रकार से उन पर कीमत का दबाव बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे निवल निर्यात कीमत और आयातों के पहुंच मूल्य के संबंध में उपयुक्त समयोजन करें।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लगभग 124 रु. प्रति किग्रा. का पहुंच मूल्य और उस पर अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत उठाते हुए डॉव इंडिया किस प्रकार से बाजार में 118 रु. प्रति किग्रा. से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग विनम्रतापूर्वक इस मुद्दे का सत्यापन करने के लिए अनुरोध किया है और उसके साथ ही आवश्यक समायोजन करने का भी अनुरोध किया, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय ये समायोजन आवश्यक हैं ताकि अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर आयात करने और अपेक्षाकृत कम कीमत पर फिर से बिक्री करने की यह प्रथा विदेशी निर्यातकों के लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं बन जाना चाहिए।

iii. यह कि जब संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य का समायोजन उपयुक्त रूप से किया गया है तब यह देखा जायेगा कि समायोजित कीमतें घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत/ उचित कीमत से बहुत अधिक हद तक कम है। कीमत में कटौती भी सही स्थिति को नहीं दर्शायेगी। संबंधित आयातकों द्वारा कम कीमत पर बिक्री और बिक्री के बाद की छूट घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के लिए उचित कीमत प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे रहा है और इसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

iv. यह कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग भारत की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि लगातार क्षमता और मांग में वृद्धि के बावजूद, वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के पास निष्क्रिय क्षमता है, स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि भारत में कमतर कीमत और न कि मांग और आपूर्ति के मुद्दे के कारण भारत में आ रहे हैं।

v. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने इस नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं लाये थे। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इन्होंने प्राधिकारी को सभी संगत सूचना की आपूर्ति की थी और उसे विधिवत जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में नोट किया गया है।

vi. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि उनकी वार्षिक रिपोर्ट बहुत अधिक लाभ को दर्शाती है, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे एक बहु उत्पाद कंपनी हैं और समग्र लाभ का तात्पर्य यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं पर क्षति नहीं हुई है।

vii. यह कि सउदी अरब की सरकार ने कोई लिखित अनुरोध उपलबध नहीं कराया है और इस कारण से उनके मौखिक अनुरोधों को इस नियमावली के संबंध में रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

viii. यह कि प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद, आई पी यू संघ ने इस कानून के अंतर्गत अपेक्षित ब्यौरे जिसके बारे में अनुरोध किया गया है, उपलब्ध कराकर अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के विकल्प को चुना है। हालांकि, उन्होंने इस बैठक का कार्यवृत्त में नहीं उपलब्ध कराया है, जिसमें इस जांच का विरोध करने के लिए निर्णय पारित किया गया था।

ix. यह कि आई पी यू संघ घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के व्यापारियों और निर्यातकों से संबद्ध वस्तु की खरीद कीमत के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराकर सही निष्कर्ष पर पहुंचने में प्राधिकारी को सहयोग करने में असफल रहा है।

x. इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अपेक्षाकृत अधिक पहुंच मूल्य के तथ्य के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होने के संबंध में मुद्दों की कोई संगतता नहीं है क्योंकि डॉव इंडिया (संबंधित आयातक) संबद्ध वस्तुओं की बिक्री संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से बहुत कम मूल्य पर कर रहा है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

xi. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मांग में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई। हालांकि, उसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

xii. इस याचिका में दी गई सूचना सही है और इसमें कोई भी विसंगति नहीं है जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस नियमावली में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है।

xiii. घरेलू उद्योग को सिंगापुर से आयातों के क्षति के मुद्दे के संबंध, घरेलू उद्योग स्वीकार करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति भी सिंगापुर से आयातों के कारण हुई । घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि प्राधिकारी ने सिंगापुर से आयातों के विरुद्ध शुल्कों के विस्तार की सिफारिश की है और यह तथ्य कि सउदी अरब से आयात अंतत: उस कीमत पर किया जाता है जो सिंगापुर से कम है, प्राधिकारी के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग को सउदी अरब से आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है।

xiv. यह कि घरेलू उद्योग ने अनुबंध ।।। के अनुसार एन आई पी का दावा किया है। प्राधिकारी ने इन आंकड़ों का भी सत्यापन किया है और केवल इस प्रकार के सत्यापित आंकड़ों का उपयोग प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

ङ 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों का विचार</u>

i. सउदी अरब से आयातों की मात्रा और वहां से प्रवेश कर रहे वस्तुओं का कीमत निर्धारण अपाटित और/अथवा क्षति रहित कीमत पर हुआ है और इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने के लिए कोई तर्क आधार नहीं है। इसके अलावा, प्रस्तुत किये गये क्षति संबंधी आंकलन तीसरे देश की आयातों के प्रभाव की पूर्णरूप से उपेक्षा करता है जो प्राथमिक रूप से, पूर्णरूप से नहीं, आवेदक द्वारा उठाई गई क्षति, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार है।

ii. यह कि मौजूदा जांच को समापत किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्राधिकारी प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के कार्यान्वयन के संबंध में करार के अनुच्छेद 5.5 के संबंध में इस जांच की शुरुआत किये जाने के पूर्व सउदी अरब की सरकार को सूचना देने में असफल रहा है।

iii. आवेदक द्वारा दावा की गई एन आई पी एकपक्षीय और उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है क्योंकि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट लाभ के उच्च स्तर को दर्शाता है और आवेदक का कीमत निर्धारण भी संबद्ध आयातों के ए डी डी के साथ (नकारात्मक कीमत कटौती द्वारा संकेत दिया गया है) पहुंच मूल्य की तुलना में थोड़ा अधिक है।

iv. आवेदक भारत में संबद्ध उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और इसने एक अथवा अन्य स्रोत से भारत में हो रहे संबद्ध आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों के रूप में 17 वर्षों से अधिक से सतत् संरक्षण मांगा है और प्राप्त किया है। यह पाटनरोधी शुल्कों के दुरुपयोग का एक पुराना मामला है।

v. आवेदक के उत्पादन, क्षमता के उपयोग और बिक्री में उत्पादकता में सुधार, रोजगार में वृद्धि, बिक्री का मूल्य और प्रति इकाई बिक्री की प्राप्ति के साथ क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। इसके अलावा, अन्य देशों से कीमतों ने घरेलू उद्योगों की निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) को प्रभावित किया है और उसका संबद्ध देशों से कीमतों से कोई संबंध नहीं है।

vi. लाभ/ हानि से संबंधित आंकड़ों और लगाई गई पूंजी पर लाभ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हुआ और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के प्रतिकूल प्रतीत होता है और इसमें शक्ति से सत्यापन और छानबीन की आवश्यकता है।

vii. घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी मानदंडों की सख्त छानबीन के मुद्दे के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि वह सही है और केवल सत्यापित सूचना का उपयोग इस जांच परिणाम के लिए किया गया है। इस कारण से किसी भी हितबद्ध पक्षकारों के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जा सकता है।

viii. आवेदक की प्रति इकाई बिक्री कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और बिक्री कीमत उसके अनुरूप नहीं रही है। हालांकि, लागत में वृद्धि और परिणामी हानि के लिए किसी भी रूप में सउदी अरब से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

ix. प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वे पाटित आयातों जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, को छोड़कर अन्य कारकों की जांच करें और इस प्रकार के अन्य कारकों को कथित पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए जिसमें (क) अन्य देशों से आपूर्ति की जाने वाली आयातों जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है, से आयात; (ख) सी पी सी बी आदेश के कारण बंदी; और बेकवर्ड इंटिग्रेशन का न होना शामिल है।

x. घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने की सीमित चिंता है। घरेलू उद्योग अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लगातार पाटनरोधी शुल्क लगाने का सहारा लेता है।

xi. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने निर्यातकों/ संबंधित आयातकों के द्वारा बिक्री के बाद छूट दिये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और इस कारण से इसकी कोई संगतता नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपने प्रथम लिखित अनुरोधों के पैरा 4 में पहले ही यह स्वीकार किया है कि सउदी अरब से वस्तुओं का पहुंच मूल्य सिंगापुर से पहुंच कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है, इस तथ्य का भी उल्लेख उनके आवेदन में भी किया गया था। इस कारण से यह एक स्वीकार की गई स्थिति है कि सदारा और डॉव द्वारा सउदी अरब से निर्यात की गई वस्तु घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

xii. यह कि घरेलू उद्योग का बिक्री के बाद दिये गये छूट के संबंध में प्रमाणित न किये गये दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए और प्राधिकारी को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि घरेलू उद्योग से सउदी अरब से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं उठानी पड़ रही है।

ङ. 3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

39. इन हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी विभिन्न अनुरोधों की जांच रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार की गई है। तथ्यों और आंकड़ों के संबंध में सभी संगत मुद्दों का समाधान निम्नलिखित क्षति विश्लेषण में किया गया है।

i. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में की इस याचिका में खामी है और इस कारण से इस जांच को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरुआत पाटन, क्षति और पाटन की संभावना तथा क्षति को दर्शाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस अधिनियम और निमयावली के अनुसार इस जांच की शुरुआत किये जाने को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ अतिरिक्त सूचना की मांग की है और सत्यापित सूचना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई है।

ii. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोशी शुल्क अब से 17 वर्षों से लागू है और इसने अपने अभीष्ट उद्देश्य को पूरा किया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच कर रहे हैं, जांच का क्षेत्र पाटन और अन्य कारकों यदि कोई हो, के कारण हुई क्षति का विश्लेषण करने तक सीमित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास संरक्षण प्राप्त करने का हर अधिकार है। यदि संबद्ध देशों के निर्यातक पाटन की प्रथा जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, में शामिल हों।

iii. यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी मानदंड स्थिति के बदतर होने/ क्षति होने का दर्शाता हो। कुछ मानदंड स्थिति के बदतर होने को दर्शा सकते हैं जबकि कुछ सुधार होने को दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी इन सभी क्षति संबंधी मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं।

iv. इस तर्क के संबंध में कि इस देश में मांग उत्पादकों की आपूर्ति की क्षमता से अधिक है, यह नोट किया जाता है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर किसी निर्यातक को भारत में संबद्ध वस्तुओं को पाटित करने के लिए लाइसेंस नहीं देता है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य भारत में आयातों को प्रतिबंधित करने का नहीं है, इन पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य आपूर्तिकर्ताओं/ प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग के लिए बाजार में समान अवसर पैदा करना है।

v. सउदी अरब के साम्राज्य ने एक मुद्दा यह उठाया है कि भारत सरकार पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.5 के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है जिसमें यह अपेक्षित है कि किसी जांच की कार्यवाही शुरू करने के पूर्व आयात करने वाले देश के जांच करने वाले प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश की सरकार को अधिसूचित करेंगे। मौजूदा मामले में, डी जी टी आर ने दिनांक 18.09.2019 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से के एस ए को सूचना देने संबंधी पत्र प्रेषित किया जबकि यह जांच 19.09.2019 को शुरू की गई थी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी सामान्य रूप से अगले दिन ही किया जाता है परंतु इस मामले में के एस ए की सरकार का यह दावा है कि उन्हें यह सूचना 23.09.2019 को प्राप्त हुई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात का कोई विवाद नहीं है कि डी जी टी आर ने वास्तव में जांच के औपचारिक रूप से शुरू किये जाने के पूर्व के एस ए की सरकार को अधिसूचित करते हुए यह पत्र प्रेषित किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मत है कि अनुच्छेद 5.5 के अंतर्गत अधिसूचित करने के उद्देश्य से संगत तिथि वह तिथि होती है जब अधिसूचना जारी की जाती है और न कि वह तिथि होती है जब सूचना प्राप्त होती है। इस संदर्भ में पाटनरोधी करार के फुट नोट 15 का संदर्भ लेना भी संगत हो सकता है जहां फुट नोट की भाषा विशिष्ट रूप से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए निर्यातकों को दिये गये 30 दिनों की गणना के समय की गणना करने के उद्देश्य से संगत तिथि के रूप में प्रश्नावली के "प्राप्त होने" की तिथि का उल्लेख करता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 5.5 "अधिसूचित करना" और न कि "प्राप्त होना" शब्द का उपयोग करता है। इस प्रकार से, यह स्पष्ट है कि इस करार ने विवेकपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 5.5 में "अधिसूचित करना" शब्द का उपयोग किया है और इस कारण से प्राधिकारी का यह मत है कि उसी करार में प्रयुक्त दो अलग अलग शब्दावलियों को उनका पूर्ण अर्थ दिया जाना है और उसे उसी संदर्भ में समझा जाना है जिस संदर्भ में उसका उपयोग किया गया है। इस प्रकार से, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.5 के अंतर्गत भारत के दायित्वों के अनुसार है।

vi. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में की क्षति रहित कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ रही है, यह नोट किया जाता है कि क्षति रहित कीमत की गणना अनुबंध ।।। के आधार पर ही की जाती है। इसके अलावा, केवल सत्यापित सूचना का उपयोग क्षति संबंधी विश्लेषण के लिए किया जाता है और इस कारण से लागत संबंधी सूचना और उनको क्षति के बारे में इन हितबद्ध पक्षकारों की सभी चिंताओं का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जाता है।

vii. प्राधिकारी ने यह नोट किया कि भारत में डॉव इंडिया (संबंधित आयातक) ने संबद्ध वस्तुओं की इसकी पहुंच कीमत से कम पर भी बिक्री की है। उसके कारण उन्होंने न केवल पहुंच कीमत प्राप्त की है बल्कि आयात किये उत्पाद पर अतिरिक्त खर्च (बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक) भी प्राप्त किया है। उचित लागत को इस प्रकार से नहीं वसूले जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है।

40. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

41. प्राधिकारी के अनुसार भारत में घरेलू उद्योग और आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली अनुबंध II (iv) ऐसे सूचकांकों जिसका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार एवं मार्जिन तैयार किया है।

42. इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ". . . सभी संगत कारकों, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं, पर विचार करते हुए . . ." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने के लिए, इस तथ्य की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक अन्य प्रकार से दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत हद तक हुई होती।

43. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव का वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

<u>संचयी आकलन</u>

44. इस नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:- क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि (क) संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में संबद्ध देशों से किया जा रहा है संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। (ख) संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग देश के आधार पर आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है। (ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल प्रत्यक्ष रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के द्वारा पेशकश की जा रही समान वस्तुओं से भी करते हैं।

46. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करना उपयुक्त है।

47. इस नियमावली के अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ". . . पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए . . ." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय, प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में

उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर विचार इस नियमावली के अनुबंध II के अनुसार किया गया है।

48. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किये गये अनुरोधों जिसे प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, की जांच और समाधान नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

ङ. 4 <u>पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव</u>

i. **<u>मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन</u>**

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिये गये आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है।

50. प्राधिकारी ने सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर नीचे दिये अनुसार विचार किया है:

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग से बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
2	सउदी अरब से आयात	मी. ट.	0	0	15661	32027
3	यू ए ई से आयात	मी. ट.	0	132	235	2819
4	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	0	132	15897	34846
5	उन देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	मी. ट.	58424	38403	43741	39463
6	अन्य देशों से आयात	मी. ट.	10050	19362	6932	9079
7	कुल आयात	मी. ट.	68474	57897	66570	83388
8	कुल मांग	मी. ट.	80,728	70435	81,124	96841

51. संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में लगभग 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है अर्थात यह आधार वर्ष में 80728 मी. ट. से जांच की अवधि में 96841 मी. ट. हो गया है।

ii. **<u>पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव</u>**

आयात की मात्रा और हिस्सा

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	सउदी अरब	मी. ट.	-	-	15,661	32,027
2	यू ए ई	मी. ट.	-	132	235	2,819

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
3	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	-	132	15,897	34,846
4	उन देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	मी. ट.	58,424	38,403	43,741	39,463
5	अन्य देश	मी. ट.	10,050	19,362	6,932	9,079
6	कुल	मी. ट.	68,474	57,897	66,570	83,388
	निम्नलिखित देशों से आयातों का हिस्सा					
7	सउदी अरब	%	0%	0%	24%	38%
8	यू ए ई	%	0%	0%	0%	3%
9	संबद्ध देश	%	0.00%	0.23%	23.88%	41.79%
10	वह देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	%	85.32%	66.33%	65.71%	47.32%
11	अन्य देश	%	14.68%	33.44%	10.41%	10.89%
13	कुल	%	100%	100%	100%	100%
14	घरेलू उद्योग की उत्पादन	मी. ट.	11,621	13,230	14,623	14,047
15	निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देशों से आयात					
क	भारतीय उत्पादक	%	0%	1%	109%	248%
ख	भारतीय मांग	%	0%	0%	20%	36%

52. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा ने जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप से तथा समग्र आयात, उत्पादन और मांग की तुलना में सापेक्ष रूप में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है।

ङ 5. <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव</u>

क. कीमत में कटौती

53. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के कारण कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूट और कमीशनों की कटौती की गई है तथा एक्स वर्क्स स्तर पर बिक्री प्राप्ति का निर्धारण पाटित आयातों का पहुंच मूल्य से तुलना करने के लिए किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	सउदी अरब से पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.			**111754**	**127497**
2	निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
3	निवल बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	94	97	104
4	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.			***	***
5	कीमत में कटौती	सूचीबद्ध			100	-898
6	कीमत में कटौती	%			***	***
7	कीमत में कटौती	रेंज			(10) - 0	(10) - 0
8	यू ए ई से पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.			113690	123954
9	निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
10	निवल बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	94	97	104

11	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.			***	***
12	कीमत में कटौती	सूचीबद्ध			100	-163
13	कीमत में कटौती	%			***	***
14	कीमत में कटौती	सूचीबद्ध			(10) - 0	(10) - 0
15	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.			111783	127211
16	निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
17	निवल बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	94	97	104
18	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.			***	***
19	कीमत में कटौती	सूचीबद्ध			100	-840
20	कीमत में कटौती	%			***	***
21	कीमत में कटौती	सूचीबद्ध			(10) - 0	(10) - 0

54. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत में कटौती संबद्ध देशों से इस तथ्य के कारण नकारात्मक है कि सउदी अरब के निर्यातक भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात उच्च कीमत पर करते हैं और उनका संबंधित पक्षकार संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री घाटे पर कर रही है। इस कारण से, डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों में रिकार्ड किये गये आयात कीमत भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक प्रचलित कीमत को नहीं दर्शा रहे हैं।

ख. <u>कीमत में ह्रास/ न्यूनीकरण</u>

55. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव बनेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	96	101
3	बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	104
5	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.			111783	127211
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध			100	114

56. उपर्युक्त तालिका से, यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक कीमतों पर हो रहा था। हालांकि, जैसा कि ऊपर में देखा गया है, इस निर्यातक के संबंधित पक्षकार संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री घाटे पर करती है। इसने घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाने के लिए विवश कर दिया है और इसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम स्तरों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के लिए बाध्य रहा है जिसके कारण अंतत: घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

<u>कम कीमत पर बिक्री</u>

57. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही कम कीमत पर बिक्री की भी जांच नीचे दिये गये अनुसार की है।

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	समेकित	सउदी अरब	यू ए ई
1	क्षति रहित कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***
2	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	127211	127497	123954
3	कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***	***	***
4	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
5	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-20	0-20	0-20

58. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा को तय करने के लिए संबद्ध वस्तुओं का पहुंच (डी जी सी आई एंड एस के अनुसार) से की गई है। विचाराधीन उत्पाद एन आई पी का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध III उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम थी जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है जो कम कीमत पर सकारात्मक बिक्री के प्रभाव को दर्शाता है। उपर्युक्त तालिका से, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री की राशि इस कारण से कम है कि संबद्ध देशों से निर्यातक भारत को उच्च कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं और उसके बाद उनका संबंधित पक्षकार घाटे पर संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री करता है। इस कारण से कम कीमत पर बिक्री का वास्तविक प्रभाव आयात संबंधी आंकड़ों को नहीं दर्शा रहा है।

ङ 6. <u>घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड</u>

59. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

60. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण इसमें नीचे किया गया है:

क. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
3	उत्पादन – पोलियोल	मी. ट.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	130	137
5	क्षमता का उपयोग – पोलियोल	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	131	138
7	उत्पादन – पी यू सी	मी. ट.	***	***	***	***

8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	126	121
9	घरेलू बिक्री की मात्रा – पी यू सी	मी. ट.	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	119	110

61. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान वही रही है। यह क्षमता सभी प्रकारों के पोलियोल के लिए है, जिसमें संबद्ध वस्तु भी शामिल है। क्षमता के उपयोग ने क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि को दर्शाया है जो अधिकांशत: गैर विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन के कारण हुआ है। विचाराधीन उत्पाद की मात्रा और बिक्री भारत में मांग में वृद्धि के बावजूद 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट दर्शाती है।

<u>मांग में बाजार का हिस्सा</u>

62. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे दर्शाये गये अनुसार रहा :

क्र. सं.	**विवरण**	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
2	सउदी अरब से आयात	मी. ट.	0	0	15661	32027
3	यू ए ई से आयात	मी. ट.	0	132	235	2819
4	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	0	132	15897	34846
5	उन देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	मी. ट.	58,424	38,403	43,741	39,463
6	अन्य देशों से आयात	मी. ट.	10,050	19,362	6,932	9,079
7	कुल आयात	मी. ट.	68474	57897	66570	83387.947
8	कुल मांग	मी. ट.	80728	70435	81124	96841
9	मांग में हिस्सा					
10	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
11	सउदी अरब	%	0%	0%	19%	33%
12	यू ए ई	%	0%	0%	0%	3%
13	संबद्ध देश	%	0%	0%	20%	36%
14	वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	%	72%	55%	54%	41%
15	अन्य देश	%	12%	27%	9%	9%
16	कुल आयात	%	85%	82%	82%	86%

63. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से में पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। हालांकि, उस अवधि के दौरान संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

लाभप्रदत्ता, निवेश पर आय और नकद लाभ

64. घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय और नकदी के प्रवाह के संबंध में कार्य निष्पादन नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	96	101
3	बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	104
5	लाभ/ (हानि)	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(62)	(73)	(42)
7	लाभ/ (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(63)	(87)	(47)
9	पी बी आई टी	रु. लाख	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(62)	(82)	(44)
11	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(56)	(79)	(37)
13	आर ओ सी ई	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(57)	(64)	(21)

65. घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान लगातार हानि हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चूंकि संबद्ध देशों से उत्पादक और संबंधित आयातक सिंगापुर से निर्यातकों की कीमतों का मुकाबला करने के लिए बिक्री के बाद छूट दे रहे हैं, वे संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अपने वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सक्षम नहीं थे।

<u>मालसूची</u>

66. घरेलू उद्योग के पास माल सूची नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
प्रारंभिक	मी. ट.	***	***	***	***
अंतिम	मी. ट.	***	***	***	***
औसत	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	48	77

67. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। हालांकि, उसमें तत्काल पूर्व के वर्ष अर्थात 2017-18 की तुलना में वृद्धि हुई है।

रोजगार और उत्पादकता

68. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
1	प्रतिदिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	126	121
3	रोजगार (सं. में)	सं.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100

69. जबकि रोजगार में 2015-16 और जांच की अवधि के बीच एक स्थिर प्रवृत्ति को दर्शाया, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। इस कारण से उत्पादकता घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

पाटन का आकार

70. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान सहयोगी उत्पादकतों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है जिसका उल्लेख पूर्व के पैराओं में किया गया है। संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन न्यूनतम स्तरों से अधिक है और वह काफी मात्रा में है।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता :

71. लाभप्रदत्ता और निवेश पर लाभ में अत्यधिक गिरावट दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता संबद्ध देशों से लगातार पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

वृद्धि :

<u>वृद्धि तालिका</u>

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	POI
उत्पादन		13.84%	10.53%	-3.94%
घरेलू जबक्री		2.31%	16.09%	-7.56%
माँग बाज़ार में हिस्सा		2.62%	0.14%	-4.05%
लाभ/प्रजत इकाई हाजन		-38.41%	33.33%	-46.55%
आरओआई		-42.86%	12.50%	-66.67%
माल सूचीं		-18.88%	-40.52%	59.42%

72. घरेलू उद्योग की वृद्धि कीमत संबंधी अधिकांश मानदंडों के लिए नकारात्मक होना जारी है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि निर्यातकों से लगातार दबाव में घरेलू उद्योग की स्थिति को बहुत नाजुक बना दिया है।

ङ.7. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

73. यह जांच दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत में मांग घरेलू उद्योग के विकास के लिए एक सीमित करने वाला कारक नहीं है। संबद्ध देशों से आयात की कीमतों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। इसके अलावा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। संबद्ध देशों और उन देशों जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, को छोड़कर अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात नगण्य हैं और उनके बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इस उद्योग में इस उत्पाद की मांग में गिरावट नहीं आई है और इस कारण से यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना किये जा रहे कीमत पर दबाव के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकता था। इस प्रकार से, घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की समयोजित पहुंच कीमतें हैं।

ङ.8. क्षति मार्जिन का आकार

74. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध ।।। के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एन आई पी का निर्धारण क्षति की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की एन आई पी तय की गई है और उसकी तुलना क्षति मार्जिन (आई एम) की गणना करने के लिए संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पहुंच कीमत (एल पी) से की गई है। पाटन मार्जिन के निर्धारण के अनुरूप, क्षति मार्जिन का भी निर्धारण संबंधित कंपनियों को एक कंपनी के रूप में उन्हें एक साथ लाते हुए किया गया है।

75. जैसा कि इस जांच परिणाम में पाटन मार्जिन के विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, सउदी अरब से संबद्ध देशों द्वारा दायर किये गये उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उनके भारतीय संबंधित कंपनी को अलग अलग व्यापार माध्यमों से उनकी मूल कंपनियों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के दौरान हानि उठानी पड़ी है। चूंकि संबद्ध वस्तुओं की उनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत की तुलना में कम है, जिसमें भारतीय सहयोगी कंपनियों की आयात कीमत और एस जी ए शामिल थी, उपयुक्त समायोजन उनकी पहुंच कीमत से किया गया है।

<u>क्षति मार्जिन तालिका</u>

देश	उत्पादक	क्षति रहित कीमत (यू एस डॉ/ किग्रा.)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉ/ किग्रा.)	क्षति मार्जिन (यू एस डॉ/ किग्रा.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
सउदी अरब	सदारा केमिकल कं.	***	***	***	***	0-10
	अन्य	***	***	***	***	10-20
यू ए ई	सभी उत्पादक	***	***	***	***	0-10

76. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के लिए संबद्ध देशों और सहयोगी उत्पादक के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।

ङ.9. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

77. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, को छोड़कर किसी ज्ञात कारक की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न माना जाये। वे कारक जो इस संबंध में संगत हैं, में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग की उत्पादकता का निर्यात कार्य निष्पादन शामिल है। इस तथ्य की नीचे जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान रहा होगा।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

78. उन देशों जिस पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है को छोड़कर, अन्य स्रोतों से आयात न्यूनतम स्तरों से बहुत कम है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी।

ख) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

79. क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में सतत् वृद्धि होती रही है। इस कारण से मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कोई संभावित कारण नहीं है।

ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता

80. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसका घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान रहा होगा क्योंकि कच्चे माल और संबद्ध वस्तु का स्वतंत्र रूप से इस देश में आयात किया जा सकता है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

81. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में अत्यधिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है जिसका घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से, प्रौद्योगिकी में विकास वह कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

82. क्षति का विश्लेषण इस प्राधिकारी द्वारा उनके घरेलू प्रचालनों पर विचार करने के बाद ही किया गया है। इस कारण से निर्यात बाजार में कार्य निष्पादन में वर्तमान क्षति के विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

83. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में अत्यधिक परिवर्तन जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है।

च) उत्पादकता

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से घरेलू उद्योग को इस आधार पर क्षति नहीं उठानी पड़ी है।

85. इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शात हैं कि घरेलू उद्योग उनके कारण क्षति पहुंचा सकते थे। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई है।

ङ.10. प्रकटन पश्चात अनुरोध

<u>प्रकटन पश्चात विवरण टिप्पणियां</u>

<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. यह कि प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण में संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी रूप से केवल तीन कार्यदिवस दिये हैं। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि इन पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है और यह अन्य जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति के विपरीत है और इस कारण दिये गये समय को पर्याप्त होने के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

ख. यह कि घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग की गई प्रौद्योगिकी अलग अलग हैं और इस कारक का विश्लेषण प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है। इसके अलावा यह अनुरोध किया गया था कि डी एम सी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित वस्तु में कड़ापन, लचीलापन, तनन और चीरने की शक्ति अलग अलग है और इस कारण से ई पी एस पी एल द्वारा आयात की गई वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को समान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है। के ओ एच प्रसंस्करण को घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया जाता है और इस कारण से कुछ अंतिम अनुप्रयोगों के लिए उत्पादक/ प्रयोक्ता डी एम सी प्रौद्योगिकी से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण वरीयता देते हैं। उसको देखते हुए उन्होंने डी एम सी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाहर रखने की मांग की है।

ग. यह कि मौजूदा प्रकटन विवरण अपने आप में पूरा नहीं है क्योंकि अनुबंध – IV का अगोपनीय पाठ (एन आई पी की गणना करने के लिए कार्यप्रणाली) सदारा/ डॉव और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

घ. यह कि सउदी अरब की सरकार को प्रकटन विवरण में यथाउल्लिखित अनुच्छेद 5.5 के संदर्भ में इस जांच की शुरुआत के पहले डी जी टी आर दिनांक 18.09.2019 को जारी पत्र कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, दिनांक 23.09.2019 को प्राप्त पत्र डी जी टी आर द्वारा जांच की शुरुआत के बाद से संबंधित सूचना थी और उक्त पत्र के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अनुच्छेद 5.5 की आवश्यकता के अनुसार है। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि मौजूदा जांच को सउदी अरब के विरुद्ध समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।

ङ. यह कि प्राधिकारी ने गलत तरीके से पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत को तय करने के लिए अंतर इकाई लाभ की कटौती को गलत तरीके से अनुमति नहीं दी है, उन्होंने अपने इन अनुरोधों की पुष्टि करने के लिए डीएस529 पर विश्वास किया है कि प्राधिकारी को संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत का निर्धारण करने हेतु इनपुट्स पर लाभ के कारक का समायोजन करना चाहिए था।

च. यह कि प्राधिकारी ने सदारा केमिकल कंपनी के पहुंच मूल्य में संबंधित आयातक द्वारा उठाई गई हानि का गलत तरीके से समायोजन किया है। उन्होंने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे पहुंच मूल्य में संबंधित आयातक के द्वारा उठाई गई हानि का समायोजन नहीं करें क्योंकि उसका क्षति के मार्जिन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। निर्यातक ने यह भी अनुरोध किया है कि वह कानून जो प्राधिकारी को पहुंच मूल्य से संबंधित आयातक द्वारा उठाई गई हानि की कटौती करने के लिए अधिकार प्रदान करता है के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

छ. यह कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं पर कोई क्षति नहीं उठानी पड़ रही है जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों से स्पष्ट है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध – II के संबंध में क्षति संबंधी मानदंडों का विश्लेषण नहीं किया है।

ज. यह कि प्राधिकारी को पहुंच मूल्य से हुई हानि के समायोजन के बाद कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री का विश्लेषण करना चाहिए था। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि क्षमता पर बहुत अधिक नियंत्रण के कारण, घरेलू उद्योग बढ़ते हुए बाजार में अपने उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी करने में सक्षम नहीं था।

झ. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये और प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उपयोग किये गये आयात संबंधी आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर है और इस कारण से इन आंकड़ों के आधार पर कोई विश्लेषण सही नहीं होगा और इस कारण से निर्यातक इन आंकड़ों का नये सीरे से विश्लेषण करने का अनुरोध करते हैं।

ञ यह कि प्राधिकारी ने किस प्रकार से घरेलू और निर्यात क्रियाकलापों के लिए क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और अन्य आर्थिक मानदंडों को अलग किया है। निर्यातकों ने इस प्रकार के मानदंडों को अलग करने के लिए कार्य प्रणाली के वास्ते भी अनुरोध किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग किये जाने वाले इनपुट्स के लिए जांच की अवधि की दरों पर विचार करने हेतु कार्यप्रणाली उत्पलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस तथ्य की पुष्टि करें कि क्या विचार की गई दरें बाजार की कीमतों को सही मायने में दर्शाती हैं अथवा नहीं। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि वे जांच की अवधि के दौरान 22 दिनों के लिए संयंत्र । के बंद रहने के प्रभाव और पानी की लागत में असामान्य वृद्धि की उपेक्षा करें।

ट. यह कि प्राधिकारी को एन आई पी के उद्देश्य से बायोमास केप्टिव विद्युत संयंत्र जो जांच की अवधि के दौरान चालू नहीं था, पर व्यय के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाना चाहिए। इसके अलावा यह अनुरोध

किया जाता है कि एन आई पी के लिए न विचार किये गये मदों और उस पर विचार न करने के कारणों को उपलब्ध करायें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को लाभ के औसत ऐतिहासिक दर और न कि 22 प्रतिशत के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किये गये लाभ पर विचार एन आई पी की गणना करने के लिए करना चाहिए था।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

87. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. यह कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ विनिर्देशों/ प्रकारों को बाहर रखने के दावे की पुष्टि करने की जिम्मेदारी, पर्याप्त साक्ष्य के साथ उसे प्रमाणित करने का दायित्व उस पक्षकार के पास है जो इस प्रकार से बाहर रखे जाने का दावा करता है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इन इच्छित बर्हिगमनों की विस्तृत तकनीकी मानदंडों वाले कोई विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य प्राधिकारी को निर्णायक तरीके से यह सिद्ध करने की विचाराधीन उत्पाद का उपर्युक्त विनिर्देश/ रूप समान वस्तु नहीं है और उनका तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है, में सहायता करने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अलावा भाग लेने वाले किसी निर्यातक अथवा आयातक इस प्रकार के मुद्दे को नहीं उठाया है और न कि प्राधिकारी को इस निर्धारण तक पहुंचने में सहयोग किया है। उपर्युक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग माननीय प्राधिकारी से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किये गये अनुरोधों को कृपया अस्वीकर करें और प्रकटन विवरण में यथाउल्लिखित इन जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करें।

ख. यह कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के पूर्व सूचना प्राप्त न होने के संबंध में सउदी अरब की सरकार का अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सउदी अरब की सरकार अनुच्छेद 5.5 के अंतर्गत सूचना की आवश्यकता महसूस करने में असफल रहा था। इसके अलावा जांच की शुरुआत के बाद भी, डी जी टी आर ने ''पत्र की तिथि'' और न कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की तिथि से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए उत्तर देने वाले पक्षकारों को 40 दिनों की अनुमति दी है। किसी भी मामले में सउदी अरब की सरकार सहित उत्तर देने वाले पक्षकारों को दी गई समय सीमा उस दिन शुरू हुई जिस दिन इन पत्रों को प्रेषित किया गया था और इस कारण से सउदी अरब की सरकार सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार के साथ कोई पक्षपात नहीं हो सकता है। उसको देखते हुए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया वे सउदी अरब की सरकार द्वारा किये गये अनुरोध को अस्वीकार कर दें।

ग. यह कि यू ए ई के निर्यातकों को अपने भाग न लेने के कारण पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना में कोई अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए और प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे आयातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों और प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर अपने पहुंच मूल्य और निर्यात कीमत का समायोजन करें।

घ. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे अंतिम जांच प्ररिणामों में प्रकटन विवरण में संबद्ध देशों के लिए परिकलित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन की पुष्टि करें।

प्राधिकारी द्वारा जांच

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश अनुरोध दोहराये गये हैं और उनका जांच और समाधान वर्तमान जांच परिणामों के पूर्ववर्ती हिस्सों में तथा प्रकटन विवरण में किया गया है। उपर्युक्त जांच परिणाम घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे सभी तर्कों को शामिल करता है। हालांकि, प्राधिकारी ने यहां नीचे दिये गये इन अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की है जिस सीमा तक वह संगत हो और यदि उनका कहीं अन्य स्थान पर समाधान नहीं किया गया हो।

89. निर्यातक के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है जिसे आवश्यक रूप

से प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाना है। प्राधिकारी ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय दिया। इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि निर्यातक द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कोई कारण चाहे वह कानूनी हो अथवा अन्य हो भी उपलब्ध नहीं कराया है कि प्राधिकारी द्वारा दी गई समय सीमा पर्याप्त नहीं है और यह कि उन्हें प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां तैयार करने में गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ा है। उसको देखते हुए, प्राधिकारी केवल इस जांच को उलझाने और इन कार्यवाहियों में विलंब करने के उद्देश्य से किये गये अनुरोधों को अस्वीकार करते हैं।

90. प्रौद्योगिकी में अंतर और तदनंतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही गुणवत्ता में कथित अंतर अपने आप में या तो पाटन मार्जिन अथवा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्यों से अथवा किसी उत्पाद को बाहर रखने के लिए आधार हो सकता है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग काफी संख्या में ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है और उनकी गुणवत्ता सभी को स्वीकार्य है। किसी भी स्थिति में, किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि मौजूदा प्रौद्योगिकी के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग गुणवत्ता और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि अलग अलग प्रौद्योगिकियां प्राधिकारी द्वारा तब तक किसी निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकता है जब तक कि इन उत्पादों का तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है।

91. इस अनुरोध के संबंध में कि प्रकटन विवरण पूर्ण नहीं है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण के खंड IV का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी के समक्ष इसे लाये जाने के साथ ही परिचालित किया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर/ टिप्पणियां, यदि कोई हों प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था।

92. नियमावली के अनुसार सूचना के संबंध में सउदी अरब की सरकार के अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि डी जी टी आर ने जांच की शुरुआत के पूर्व नियम 5(5) और अनुच्छेद 5.5 के अंतर्गत अपने दायित्व के संदर्भ में सूचना संबंधी पत्र अग्रेषित किया है। इस कारण से डी जी टी आर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दायित्व के अनुसार कार्य किया है और सउदी अरब की सरकार अथवा इसके निर्यातकों को किसी भी रूप में अधिकारों और हितों के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है। उपर्युक्त के संदर्भ में बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राधिकारी ने सउदी अरब के निर्यातकों को समय विस्तार दिया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाई है।

93. इस तर्क के संबंध में कि सामान्य मूल्य की गणना विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी वास्तविक लागत के आधार पर की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि कोविड काल के दौरान प्राधिकारी ने उक्त इकाईयों का दौरा करते हुए इन आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया है बल्कि केवल डेस्क सत्यापित किया है और प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रमाणित दस्तावेजों पर पूर्ण रूप से विश्वास किया गया है। डेस्क सत्यापन के दौरान, सदारा ने समग्र रूप से कंपनी के लिए और जांच की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए आय संबंधी विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने एस ए पी सर्वर स्क्रीन शॉट, कच्चे माल के ब्यौरे, कंपनी के लिए परिवर्तनीय मार्जिन रिपोर्ट (वी एम आर) और विचाराधीन उत्पाद सहित अन्य सूचना भी उलपब्ध कराई है। वी एम आर सदारा द्वारा सदारा की ई आर पी (एस ए पी) प्रणाली से रिपोर्ट करते हुए एस ए पी व्यापार संबंधी सूचना का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है। इन सभी दस्तावेजों को डेस्क सत्यापन के दौरान रिकार्ड पर रखा गया है।

94. जहां तक सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए नोशनल लाभ की कटौती की अनुमति दिये जाने के अनुरोध का प्रश्न है, इसे कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार नोट किया जाता है कि सदारा ने इनपुट सामग्री की लागत का निर्धारण करने के लिए लागत केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। यह एक बहु उत्पाद कंपनी है जिसकी कुछ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियां संबद्ध वस्तुओं तथा कंपनी के अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए इनपुट सामग्री

की आपूर्ति में लगा हुआ है। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सदारा ने मध्यवर्ती उत्पाद अर्थात प्रोपीलीन ऑक्साइड जिसका बाद में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से खपत किया जाता है के उत्पादन के लिए बाजार कीमतों पर सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों से इनपुट सामग्री प्राप्त की है। कंपनी के अनुसार, इन इनपुट्स को संविदागत कीमत (लागत जोड़ लाभ) पर अंतरित किया जाता है जो बाहरी कीमत/ बाजार कीमत के बराबर है। इस प्रकार के डेस्क सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि उनकी एस ए पी प्रणाली द्वारा निकाली गई वी एम आर और विचाराधीन उत्पाद के लिए परिशिष्ट 7 में उनके द्वारा किये गये दावे के अनुसार इस हानि में अंतर है। यह देखा गया है कि मैसर्स सदारा ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किये गये परिशिष्ट 7/8 में उसके बारे में दावा करते समय लागत का समायोजन किया है। कंपनी का वी एम आर से मिलान / डेस्क सत्यापन के दौरान, यह नोट किया गया है कि कंपनी ने पी ओ (कैप्टिव कच्चा माल) अंतरित करते समय लाभ के कारक को बाहर रखा है और विचाराधीन उत्पाद की लागत ने भी सदारा संयुक्त उद्यम लाभ के हिस्से का समायोजन किया है। इसके साथ ही, वित्त लागत का दावा कंपनी द्वारा निम्नतर ओर किया गया है। वी एम आर कंपनी द्वारा किये गये दावे के अनुसार एक प्रमाणित एस ए पी दस्तावेज है और इस पर विचार उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी उल्लेख किया है कि वे लागत केंद्रित अवधारणा का पालन कर रहे हैं और पी ओ की लागत विचाराधीन उत्पाद को लागत जोड़ लाभ पर अंतरित किया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए, वी एम आर को स्वीकार किया गया है और उत्पादन की कारखानागत लागत तय की गई है और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उस पर विचार किया गया है।

95. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक द्वारा विभिन्न परिशिष्टों में उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के संदर्भ में प्राधिकारी की सतत् कार्यपद्धति के अनुसार किया गया है। उत्पादन की लागत से लाभ की कटौती को अस्वीकार करने के संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए की क्या घरेलू बिक्री सामान्य मामले में की गई अथवा नहीं, उत्पादन की वास्तविक लागत का पता लगाने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के संदर्भ में लागत में कटौती की है। इस कारण से, निर्यातक का तर्क उपयुक्त नहीं है और इसके साथ ही सही नहीं है।

96. पहुंच मूल्य में समायोजन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूंकि भारत कमतर शुल्क नियम, जिसमें शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर तक सीमित है, का पालन कर रहा है अत: यह महत्वपूर्ण है कि पहुंच मूल्य में उपयुक्त समायोजन किया जाये जिससे कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक संरक्षण प्राप्त हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित आयातक द्वारा हानि का भी समायोजन पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत में किया गया है। इस कारण से कानूनी रूप से और तार्किक रूप से यह उपयुक्त है कि पहुंच मूल्य में हानि का समायोजन किया जाये जब निर्यातक का संबंधित आयात कमतर कीमतों पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। यह कमतर कीमत है जो घरेलू उद्योग को प्रभावी रूप से क्षति पहुंचा रहा है। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी पहुंच मूल्य से हानि में कटौती करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं।

97. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति का विश्लेषण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।। के संदर्भ में क्षति संबंधी मानदंडों के एक वस्तुपरक विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को इस अंतिम जांच परिणामों के संगत स्थानों पर पहले ही विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है।

98. निर्यातक के इस अनुरोध के संबंध में की प्राधिकारी को हानि का समायोजन करने के बाद कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री की जांच करनी चाहिए थी, यह नोट किया जाता है कि कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए की जाती है। हालांकि, क्षति के मार्जिन के उद्देश्य से, सउदी अरब के निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उनके भारतीय संबंधित कंपनी को अलग अलग व्यापार माध्यमों से उनकी मूल कंपनियों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के दौरान हानि हुई है। चूंकि संबद्ध वस्तुओं की उनकी बिक्री कीमत अपनी खरीद कीमत से कम है जिसमें भारतीय सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एस जी ए शामिल थीं, क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से उनकी पहुंच कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है।

99. क्षमता और उत्पादन की सीमा से संबंधित अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से निर्यातकों से अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए कीमत संबंधी दबाव के अंतर्गत था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अभी भी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग निर्यातकों द्वारा बनाये गये कीमत संबंधी दबाव के कारण अपने उत्पादन और बाजार की बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।

100. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में प्रस्तुत किये गये आयात संबंधी आंकड़ों और प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उपयोग किये गये आंकड़ों में अंतर के संबंध में दावे का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने लेन देन में उल्लेख किये गये इसके विवरण और ब्राण्ड नामों के आधार पर डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किये गये आयात संबंधी आंकड़ों को अलग अलग किया है। इसके अलावा, इस जांच परिणाम में विश्वास किये गये आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा जांच और परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा उपयोग किये गये आंकड़े भी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का समर्थन करते हैं।

101. एन आई पी की गणना के संबंध में अनुरोधों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनुबंध ।।। निर्धारित सिद्धांतों और क्षमताओं के निर्धारण जब ये क्षमताएं बिलकुल उस उद्देश्य के लिए नहीं रखी गई है के संबंध में मानक लागत सिद्धांतों के अनुसार एन आई पी की गणना की है। लागत से संबंधित संख्या में प्रमुख रूप से सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित आंकड़ों के कारण परिवर्तन हुआ है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी द्वारा सत्यापित संशोधित आंकड़ों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में कटौती हुई है और इसके परिणामस्वरूप निर्धारित एन आई पी अब संशोधित आंकड़ों के आधार पर है। इस कारण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों में कोई दम नहीं है और इस कारण से उसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछ ब्यौरे जिन्हें निर्यातक से मांगा गया था उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है क्योंकि प्राधिकारी सतत् कार्यपद्धति के मामले के रूप में आवेदक को गोपनीयता के दावे की अनुमति देते हैं। इस कारण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों में कोई दम नहीं है और इस कारण से उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ङ.11. प्राधिकारी द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच

102. आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभाव के साथ साथ क्षति के विभिन्न मानदंडों की जांच यह प्रकट करती है कि क्षति की जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में तथा इस देश में कुल आयातों, घरेलू उत्पादन और कुल मांग की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कीमत में कटौती इस तथ्य के कारण नकारात्मक है कि भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा उच्च कीमत पर किया जाता है और उनके संबंधित पक्षकार संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री घाटे पर करती है। इस कारण से डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक प्रचलित कीमत को नहीं दर्शा रहे हैं और आयात के आंकड़ों के आधार पर कीमत के विश्लेषण का इस मामले पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वह सही संख्या को नहीं दर्शाता है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर दबाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बिक्री की अपनी लागत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग पर मात्रा और कीमत संबंधी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और क्षमता के उपयोग में मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग आदर्शतम स्तर से कम है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

103. यह भी नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हो सकती थी। प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी जांच की है कि क्या इस उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के द्वारा हुई है।

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पिछले वर्ष अर्थात 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भी स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

ख. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के समानुपात में अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने के लिए सक्षम नहीं रहा है।

ग. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है यद्यपि संबद्ध वस्तुओं की मांग उसी अवधि के दौरान भारत में बढ़ती रही है। ऐसा इस कारण से हुआ है कि आयातों ने आक्रामक रूप से मांग में वृद्धि पर कब्जा कर लिया है।

घ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के संबंधित आयातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री की कीमत के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग संबंधित आयातकों के द्वारा फिर से बिक्री की कीमतों का मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था। घरेलू उद्योग को कीमत पर हुआ दबाव का प्राथमिक रूप से इस देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण हुआ है।

ङ लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में कीमत पर दबाव के फलस्वरूप गिरावट आई है। इस प्रकार से, इस उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन खराब हुआ है।

104. इस कारण से प्राधिकारी, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

च. <u>भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे</u>

105. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्कों के द्वारा कमी नहीं आई। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से पाटन की प्रथाओं के कारण प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी।

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी भी रूप में प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से अंतिम प्रयोक्ता को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतिम प्रयोक्ता आपूर्ति अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाये रख सकते हैं। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आमतौर पर पाटन के अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छ. <u>निष्कर्ष</u>

107. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्को, उपलब्ध कराई गई सूचना और किये गये अनुरोधों के संबंध में तथा उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर और इन जांच परिणामों में रिकार्ड किये गये अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :

क. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात इसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है और इसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई है।

ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा हुई है।

ज. <u>सिफारिश</u>

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबद्ध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने के बाद और इस प्रकार के पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध करने के बाद, प्राधिकारी यह मानते हैं कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति के प्रभाव को दूर करने के लिए

अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर यहां नीचे दिये गये रूप में और तरीके से पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते है।

109. इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(I) (ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उपशीर्षक	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3907	फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलियोल जिसका मोलिक्यूलर वजन 3000-4000	सउदी अरब	कोई भी देश	सदारा केमिकल कं.	150.06	यू एस डॉलर	मी. ट.
2	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	सउदी अरब	कोई भी देश	क्र. सं. 1 पर दिये गये कंपनी को छोड़कर कोई भी	235.02	यू एस डॉलर	मी. ट.
3	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो, उन देशों को छोड़कर कोई भी अन्य देश	सउदी अरब	कोई भी उत्पादक	235.02	यू एस डॉलर	मी. ट.
4	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	यू ए ई	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	101.81	यू एस डॉलर	मी. ट.
5	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो, उन देशों को छोड़कर कोई भी अन्य देश	यू ए ई	कोई भी उत्पादक	101.81	यू एस डॉलर	मी. ट.

110. इस सिफारिश के परिणाम केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 1st September, 2020

Case No. (OI) 14/2019

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from the Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) – Reg.

F. No. 6/20/2019-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof:

2. M/s Manali Petrochemicals Ltd. (hereinafter also referred to as the "Applicant") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Flexible Slabstock Polyol" (hereinafter also referred to as the "subject goods" or PUC) from Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter also referred to as the "subject countries").

3. The Authority on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 18th September, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

A. PROCEDURE

4. The following procedure has been followed with regard to this investigation:

i. The Authority, under the above said Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the Domestic Industry, alleging dumping of 'Flexible Slabstock Polyol' from the subject countries.

ii. The Authority notified the Government of the subject countries, through its embassies in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

iii. The Authority issued a notification dated 18th September, 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.

iv. A copy of the said public notice was forwarded by the Authority to all known exporters of the subject goods, the Governments of the subject countries through their embassies in India, and other interested parties about the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.

v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of the subject countries, through its embassies and to other interested parties who made a request therefore in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

vi. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating anti-dumping investigation to the known producers / exporters in the subject countries, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to a questionnaire in the form and manner prescribed within the time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules. The Authority sent Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a) M/s Sadara Chemicals Company (SCC), Saudi Arabia

b) M/s Nobel Chemical Material LLC

vii. The Governments of the subject countries, through their embassies in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the High Commission along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject countries.

viii. In response to the notification, following producers/exporters responded by filing Exporter's Questionnaire responses.

a. M/s Sadara Chemicals Company (SCC), Saudi Arabia (Producer)

b. M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B. V., (Dow Marketing), Netherland (Exporter)

c. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. (Dow Singapore), Singapore (Exporter)

ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a) Sheela Foam P Ltd

b) Prime Comforts

c) M H Polymers P Ltd

d) Somany Foam Ltd

e) Tirupati Foam Ltd

f) Dura Puf

g) Shree Singhal Foams P Ltd

h) Multiwyn Foams P Ltd

i) Shree Malani Foams P Ltd

j) Joy Foam Pvt Ltd

x. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a) ASSOCHAM

b) FICCI

c) CII

d) Excise Law Times

e) Indian Polyurethane Association

xi. The following importers of the subject goods has responded by filing an Importer Questionnaire response.

a) Dow Chemical International Private Limited (DCIPL), India (Importer).

b) Sheela foam Ltd.

xii. Further submissions were also filed by the following importers/associations -

a) Indian Polyurethane Association

xiii. The Authority made available non-confidential versions of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).

xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports and required analysis after due examination of the transactions. The Authority also obtained data from DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) for POI to correlate quantum of exports from specified exporters to validate the responses filed, to the extent feasible.

xv. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority has also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 4.3.2020. Subsequently, another oral hearing was held on 15.7.2020 in view of the change of the Designated Authority, as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 7.1.2011. All the parties who attended and presented their views in the oral hearings were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided with an opportunity to submit their rejoinders thereafter. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.

xvii. The verification of the information provided by the Applicant as well as the producers/exporters of the subject countries was conducted to the extent as considered relevant by the Authority.

xviii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 01.04.2018 to 31.03.2019 (12 months). However, the injury investigation period covers the data of previous three years, i.e. April 2015 to March 2016, April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and the POI.

xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.

xx. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 21.8.2020 and sufficient time to all interested parties was granted to enable them to provide comments on the disclosure statement. Comments received thereon,

considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The post-disclosure submissions, to the extent considered relevant, have been examined in this Final Findings.

xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xxiii. '***' in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiv. The average exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.70.85 = 1 US$.

B. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol.

B1. Views of the domestic industry

6. Following submissions were made by the domestic industry with regards to the product under consideration –

i. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol, a polymer, originating in or exported from Subject countries. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives, yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums.

ii. The subject goods are classified under chapter 39 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 3907, 390720, 390791 and 390799. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

iii. That the submissions of EPSPL cannot be accepted as they have not substantiated their claim that the subject goods produced by the Domestic Industry cannot be used in their production process. It is further submitted that the goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject countries are like product and customers are using them interchangeably.

iv. That the specifications of the products manufactured using catalyst KOH or DMC are similar and are like articles. Further, it is submitted that it is a settled principle that mere difference in input / production process does not make the product different, unless there is a change in the specifications in the final product to the extent that they do not remain interchangeable or substitutable. Therefore, the Domestic Industry has requested the Authority to reject the unsubstantiated claim made by the EPSPL.

v. That the choice of EPSPL to use imported goods is totally driven by the discounted price they get from Shell / Dow. Moreover, they have not provided the technical details of their imported goods. Further, information about their purchase price from importers / exporters was also not submitted in order to assist the Authority in the investigation. In view thereof, the Domestic Industry requested the Authority to reject the submission made by EPSPL.

B2. Views of the other interested parties

vi. EPSPL has submitted that the 3000 MW polyol that they use, and applicant's polyols are not identical. It is further submitted that the technology used by the Domestic Industry is not cost efficient. Further the quality of goods is not upto the mark.

vii. It is further submitted that DMC technology is more efficient than that of KOH technology. It is also submitted that the Domestic Industry is quality of goods produced by the Domestic Industry is not suitable to the products manufactured by the EPSPL.

viii. No submission has been made by the producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article.

B3. Examination by the Authority:

ix. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol. The subject product is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the "subject goods").

x. The subject goods are classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907 20 as per Indian Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that while different ITCHS may be quoted by producers/exporters, the product description assumes primary over the ITCHS as the same is indicative.

xi. As regards, the submissions of the EPSPL, it is noted that they have not substantiated their claim of difference in quality and goods imported by them and produced by the Domestic Industry are not like article, it is noted that EPSPL has failed to provide any evidence to substantiate their claim. It is further noted that they have also not provided any technical report or any other information which proves their claim. In view therefore, the Authority rejects the claims made by EPSPL.

7. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

xii. After considering the information on record, the Authority is of the view that the subject good produced by the domestic industry is comparable to the product under consideration in terms of chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority is of the view that subject goods produced by the Applicant domestic industry are like article to the product under consideration which is imported from subject countries in accordance with the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

xiii. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C1. Views of the domestic industry

8. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard–

i. The application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited for imposition of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries. The Applicant also submitted that they account for almost 98 % share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available with them there is only one other known producer of the product under consideration in the country i.e., M/s Expanded Polymers.

ii. The applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India. Further, the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods.

iii. In view of the above said and since none of the interested parties have made any submissions in relation to standing of the Domestic Industry, and therefore, the Authority is requested to consider the applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules, since the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

C2. Views of the other interested parties

9. None of the interested parties has made any submissions in relation to the standing and eligibility of the applicant to be considered as eligible Domestic Industry.

C3. Examination by the Authority:

10. The application in the present investigation has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited. It is noted that as claimed by the Applicant, M/s Expanded Polymers Systems Private Limited (EPSPL) was considered as another domestic producer. However, during the proceedings, the Authority finds that EPSPL has imported the subject goods and they have stopped production of subject goods. In view thereof, the Authority holds that Applicant is the sole producer of the subject goods in India.

11. It is noted that the Applicant has not imported the subject goods from the subject countries. It is further noted that the Applicant is not related to any of the exporters in the subject countries and also not related to any importer of the subject goods in India.

12. In view of the above, the Authority holds that the production by the applicant constitutes 100 % of total Indian production of the like product and that the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules and constitute 'Domestic Industry' (DI) in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. Confidentiality

D1. Views of the Domestic Industry

13. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality claims of the exporters/importers and other interested parties are as follows:

i. Exporters have failed to fulfil their obligations under the Indian law by not providing the meaningful non-confidential version of their response. Moreover, exporters / importers have made mockery of the system by claiming excessive confidentiality.

ii. The Applicant has claimed confidentiality on information provided by them as allowed in rule 7 of the AD rules and a meaningful summary of such information was also provided. The claims of interested parties that the Applicant has claimed excessive confidentiality are baseless.

iii. In relation to the confidentiality claimed on costing information, Domestic Industry has submitted that costing is by nature confidential and therefore, the Domestic Industry has rightly claimed costing as confidential.

iv. Excessive confidentiality has been claimed by the exporters in as much as the non-confidential versions of the questionnaire response were not the exact replica of the confidential version filed by the exporters as required under the Rules and the instructions on the issue. This has not only restricted the ability of the Domestic Industry to assist the Authority but also handicapped the Authority in reaching the correct conclusion.

D2. Views of the other interested parties

i. Domestic Industry has claimed excessive and unwarranted confidentiality in the application.

ii. Claim of excessive confidentiality by the Domestic Industry has restricted the ability of the exporters to comment and also does not permit the proper understanding and appreciation of the facts by other interested parties.

iii. In relation to the allegation of the Domestic Industry of excessive claim by exporters, it is submitted that exporters have claimed confidentiality only on business sensitive information.

D3. Examination by the Authority

14. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, are examined and addressed as follows:

15. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as under:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The Designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

16. As regards the contention with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept Confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin

D4. Views of the Domestic industry

17. The domestic industry inter alia submitted as follows:

i. The Domestic Industry has provided ample evidence to support their claim of normal value and export price in their petition to the best of their ability for the purpose of the initiation.

ii. The Authority should consider the market price of Propylene Oxide (PO), based on prices published in ICIS LOR or international raw material price for calculating cost of production for the subject goods in Saudi Arabia and not the prices submitted by producer in Saudi Arabia, due to their market situation and internal arrangement with raw material suppliers.

iii. The Domestic Industry humbly requests the Authority to kindly consider the domestic sales that is purely meant for the consumption of local market in Saudi Arabia and not those sales which are ultimately shipped outside Saudi Arabia.

iv. The Authority should closely check the transactions between exporter and its related entity in India, as the Domestic Industry apprehended that the price between exporter and its related importer is not correct and is be done at higher value.

v. The Authority should check the post sales discount given by the producers/exporters from Saudi Arabia / Singapore and Indian related importers to the end users. Domestic Industry also requested the Authority to adjust the loss suffered by the importer into the export price as well as landed value for fair comparison.

vi. That the related importer is selling the subject goods in India below the price of Rs. 118 to 119 per KG. Further, the prices of the exporter can be checked from the responses of M/s Sheela Foams Ltd.

vii. That the Authority must ensure that the raw material pricing is at arm's length with respect to transfer of raw materials among related companies. Domestic Industry has further requested that at-least the method of transfer price should be disclosed to the Domestic Industry.

D5. Views of the interested parties

18. The following submissions have been made by the other interested parties –

i. The subject goods produced in Saudi Arabia and exporter by Dow entities is un-dumped and is also not injuring the Domestic Industry.

ii. The construction of the normal value is based on erroneous and false assertions without adhering to the standards and evidentiary requirements laid down under the Anti-Dumping Agreement (AD Agreement) and the AD Rules. Further, as per the Article 5.2(iii) of the AD Agreement, Domestic Industry has not provided any evidence why they have used Korean prices of PO particularly when Saudi Arabia is a world leader in petrochemicals with an abundant capacity and competitive advantage to produce PO and there is no occasion for the Sadara to import the PO.

iii. That the producer has provided all the data to the Authority and they have also requested the Authority to verify their data for determination of normal value and export price.

iv. That the Authority must compute the normal value after sequentially applying the different methods required under the Customs Tariff Act. Sadara and Dow have filed complete responses to the exporter's and importer's questionnaires, which includes all information relating to domestic sales undertaken by Sadara during the POI and preliminary information relating to third country export prices.

D6. Examination by the Authority

Determination of normal value and export price

Normal value computation

19. As per sub section (c) of the section 9A (1) of the Customs Tariff Act, 1975 normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

20. At the stage of initiation, the Applicant proceeded with the prices of subject goods based on prices published in ICIS LOR for calculating cost of production with adjustments of insurance and landing charges due to non-availability of internal transactions of Singapore.

21. The Authority sent copies of Exporters Questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. The following entities have responded by filing questionnaire response:

a) M/s Sadara Chemicals Company (“SCC” or “Sadara”), Saudi Arabia (Producer)

b) M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B. V., Netherland (Dow marketing”) (Exporter)

c) M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. Singapore (Dow Singapore) (Exporter)

22. Since the above-mentioned companies have filed the questionnaire responses, the Authority has examined the request for determination of individual dumping margin for these producers and has determined dumping margins wherever appropriate.

23. In the absence of cooperation from the other producers/exporters in the subject countries, the Authority has determined the normal value, on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules read with Article 6.8 of the Agreement.

24. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of various producers/exporters of the subject countries as follows:

Normal value

M/s Sadara Chemicals Company (SCC), Saudi Arabia (Producer), M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B. V., Netherland (Exporter) and M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. Singapore (Exporter)

25. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that M/s Sadara Chemicals Company (SCC or Sadara), Saudi Arabia is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India during the POI. It is further noted that M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B. V., Netherland (Exporter) and M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. Singapore (Exporter) have filed respective questionnaires in the formats prescribed.

26. SCC has sold *** MT of the PUC in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India through related and unrelated traders during the POI. The Authority has first examined whether the total domestic sales of the subject goods by the producers/exporters concerned in the subject country were representative when compared to their total sales of the subject goods in the exporting country. Thereafter, it was examined whether their sales are under ordinary course of trade in terms of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. M/s SCC has provided transaction wise details of sales made in home market. The same has been accepted by the Authority after examination and relied upon to determine the selling price of the subject goods sold in the home market. For the determination of the ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned was examined with reference to the records maintained by the producer/exporter. It was noted that M/s SCC has filed the variable margin report (VMR), developed by utilizing their ERP (SAP) system for the PUC, and the same has been relied upon to determine the cost of production.

27. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the cost of production determined by the Authority of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade or not. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80% by volume. The producer has claimed Inland Freight, and Credit Cost as post factory expenses, and the same has been accepted by the Authority. The dumping margin determined as above is mentioned in the dumping margin table.

Normal value for all other producers/exporters from Saudi Arabia

28. It is noted that no other producer/exporter from Saudi Arabia has cooperated in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined Normal Value for such other producers/exporters based on facts available which is calculated and mentioned in the dumping margin table.

Export Price

M/s Sadara Chemicals Company (SCC), Saudi Arabia (Producer), M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B. V., Netherland (Exporter) and M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. Singapore (Exporter)

29. It is noted that M/s SCC sells the entire quantity of the subject goods to Dow Marketing. For exports to India, Dow Marketing raises invoice on Dow Singapore for resale to unrelated and related Indian

importers. During the POI, Dow Singapore has sold ***MT of subject goods to DCIPL and ***MT to unrelated importers. The Authority has verified the responses of Sadara and Dow Marketing and Dow Singapore and found the same to be in order.

30. The Authority has examined the responses of Sadara, Dow Marketing and Dow Singapore and DCIPL to the extent necessary. It is also noted that Dow Singapore has incurred losses on the export of the PUC during the POI. DCIPL has also incurred losses on the PUC in India.

31. For arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered the expenses incurred by all exporting entities as well as the Producer in the entire export chain to India while calculating backwards from Dow Singapore to Dow Marketing to Sadara. Accordingly, adjustments on account of freight, credit cost, port and other related expenses, inland transportation, insurance and other post factory expenses from the invoice price have been adjusted. In addition, the Authority has made an adjustment on account of losses incurred by DCIPL. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the tables.

32. The Authority noted that SCC exported *** MT of the subject goods to India during the POI through M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing Arabia B. V., Netherland (Exporter) and M/s Dow Chemical Pacific (Singapore). Out of *** MT, ***MT has been exported to Dow India (related importer) in India and *** MT to unrelated importers. For arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of freight, credit cost, port and other related expenses, inland transportation, insurance, and other post factory expenses from the invoice price. In addition, the Authority has made an adjustment on account of losses incurred by DCIPL. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping table.

Export Price for all other producers/exporters from Saudi Arabia

33. It is noted that no other producer/exporter from Saudi Arabia has cooperated in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined Export Price for such other producers/exporters based on facts available in terms of Rule 6(8) which is calculated and mentioned in the dumping margin table.

Normal value for all other producers/exporters from UAE

34. It is noted that no producer/exporter from UAE has cooperated in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined Normal Value for all producers/exporters based on facts available in terms of Rule 6(8) which is calculated and mentioned in the dumping margin table.

Export Price for all other producers/exporters from UAE

35. It is noted that no other producer/exporter from UAE has cooperated in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined Export Price for such other producers/exporters based on facts available in terms of Rule 6(8) which is calculated and mentioned in the dumping margin table

Dumping Margin Table

36. Based on the above the dumping margin is determined as under:

Country	Producer	Normal Value/ CNV (US$/MT)	Export Price (US$/MT)	Dumping Margin (US$/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	***	***	***	***	20-30
	Others	***	***	***	***	20-30
UAE	All Producers	***	***	***	***	0-10

37. It is seen that the dumping margins are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.

E. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

38. The views on injury, likelihood and causality are as under:

E1. Views of the Domestic industry

i. That the Dow India (related importer) is reselling the subject goods in India at price lower than that of imported price and incurring losses. It is further submitted that the related importer is giving post sales discounts to match the prices of the Domestic Industry and thus creating price pressure on them. In this context, Domestic Industry requested the Authority to make appropriate adjustments to the net export price as well as the landed value of imports.

ii. It is also submitted by the Domestic Industry that despite the landed value of approximately of Rs. 124 / KG and incurring additional direct and indirect cost on the subject goods, how the Dow India is selling the subject goods below Rs. 118 / KG in the market. The Domestic Industry humbly requested to verify this issue and also to make necessary adjustments while determining the dumping margin and injury margin, these adjustments are necessary so that this practice of importing at a higher price and reselling at a lower price should not become an exit route for the foreign exporters.

iii. That when landed value from the subject countries are adjusted appropriately, it would be seen that the adjusted prices are significantly below the Non-injurious price/fair price of the domestic industry. Even the price undercutting will also show correct position. These low-priced sales by related importers and post sales discounts are not allowing the domestic industry to fetch a fair price for the subject goods and this is causing material injury to the domestic industry.

iv. That the contention of the interested parties that DI is unable to fulfil the Indian demand, the Domestic Industry has submitted that despite constant capacity and increase in demand, they were unable to utilize their full capacity. The fact that the Domestic Industry has idle capacity, clearly established that imports in India are coming to India due to lower price and not only because of demand and supply issue.

v. With respect to the contention of the interested parties that the Domestic Industry had not brought any substantive evidence in terms of Rule 5(3) of the Rules, the Applicant submitted that they had supplied all the relevant information to Authority and the same has been duly noted in the Initiation notification.

vi. With respect to the argument of the interested parties that the Domestic Industry had not suffered any injury, as their Annual Report Shows huge profit, it is submitted by the Domestic Industry that they are a multiproduct company and overall profit does not mean that Domestic Industry has not suffered injury on the subject goods.

vii. That the Government of Saudi Arabia has not provided any written submission therefore, their oral submissions cannot be taken on record in terms of the Rules.

viii. That despite clear guidelines by the Authority, IPU association has chosen not to fulfill its obligation by providing the requested details required under the law. Moreover, they have also not provided minutes of the meeting wherein the decision was passed to oppose this investigation.

ix. That IPU association has failed to assist the Authority in reaching the correct conclusion by providing relevant information relating to purchase price of the subject goods from the Domestic Industry, traders and exporters from the subject countries.

x. Domestic Industry has further submitted that the issues relating to no injury to the Domestic Industry because of the fact of higher landed value, has no relevance, as Dow India (related importer) is selling subject goods at much below the landed value of the subject goods, causing material injury to the Domestic Industry.

xi. Market share of the Domestic Industry declined despite increase in demand. However, during the same period, market share of imports from the subject countries has increased.

xii. The information provided in the petition is correct and shows no discrepancy as claimed by the interested parties. Further, the domestic industry has followed all the procedures prescribed in the Rules.

xiii. With respect to injury to the Domestic Industry as a consequence of imports from Singapore, the Domestic Industry accepts that injury to the Domestic Industry in addition also caused from the imports from Singapore. It is also submitted by the Domestic Industry that since the Authority has recommended extension of duties against imports from Singapore and the fact that imports from Saudi Arabia are ultimately sold at price lesser than that of Singapore, there is no reason for the Authority to come to a conclusion that Domestic Industry is not suffering injury because of the imports from Saudi Arabia.

xiv. That the Domestic Industry has claimed NIP in accordance to the Annexure III. The Authority has also verified the data and only such verified data has been used by the Authority.

E2. <u>Views of other interested parties</u>

i. The volume of imports from Saudi Arabia and the pricing of the goods entering therefrom are un-dumped and/or non-injurious, and therefore, there is no rationale for any imposition of anti-dumping duties. Further, the injury assessment presented by the Applicant completely ignores the impact of third country imports which are primarily, if not entirely, responsible for the injury, if any, suffered by the Applicant.

ii. The instant investigation needs to be terminated because the Authority has failed to intimate the government of Saudi Arabia prior to the initiation of the investigation in terms of the Article 5.5 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

iii. NIP claimed by the Applicant is arbitrary & inflated as Applicant's Annual Report points to high level of profits and the pricing of the Applicant is also slightly higher than the landed value with ADD of the subject imports (signified by negative price undercutting).

iv. The Applicant is a sole producer of the subject product in India and has sought and received continued protection for over 17 years in the form of anti-dumping duties against subject imports entering India from one or the other source. This is a classic case of misuse of anti-dumping duties.

v. The Applicant's production, capacity utilization and sales has improved over the injury period along with improvement in productivity, increase in employment, sales value and sales realization per unit. Further, prices from the other countries have affected the Net selling Realization (NSR) of the Domestic Industry, and the same has no nexus with that of the prices from the subject countries.

vi. The data pertaining to profit / loss and ROCE appears to be misrepresented and contrary to the Applicant's Annual Report and requires strict verification and scrutiny.

vii. As regards the issue of strict scrutiny of injury parameters of the Domestic Industry, it is submitted that the same is correct and only verified information has been used for this finding. Therefore, no prejudice can be caused to any of the interested parties.

viii. The Applicant's cost of sales per unit has steeply increased and selling price has not kept up with the same. However, the increase in costs and the resultant losses are not attributable to imports from Saudi Arabia in any manner.

ix. It is incumbent for the Authority to examine factors other than dumped imports which are causing injury to the domestic industry and such other factors must not be attributed to alleged dumped imports, which include (a) Competition from imports sourced from other countries not attracting ADD; (b) Closure due to CPCB order; and (c) Lack of backward integration.

x. Domestic Industry has limited capacity to meet the Indian demand. Domestic Industry in order to maximize its profit resorts to repeatedly levy of anti-dumping duty.

xi. It is submitted that Domestic Industry has provided no evidence of post sales discount by the exporter / related importers and therefore, this has no relevance. Moreover, the Domestic Industry has already admitted in para 4 of their first written submissions that the landed value of goods from Saudi Arabia is higher than the landed prices from Singapore, this fact was also stated in their

application as well. It is therefore an admitted position that goods exported from Saudi Arabia by Sadara and Dow are not a cause of injury to the domestic industry.

xii. That the unsubstantiated claims of the Domestic Industry in relation to post sales discount should be rejected and the Authority should conclude that Domestic Industry is not suffering any injury because of the imports from Saudi Arabia.

E3. Examination by the Authority

39. The various submissions of the interested parties and the Domestic Industry on injury have been examined as per the information available on record. All relevant issues concerning the facts and figures are addressed in the following injury analysis.

i. As regards the argument of the opposing interested parties that the petition is deficient and, therefore, the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of prima facie evidence furnished by the domestic industry showing dumping, injury and likelihood of dumping and injury to justifying initiation of the investigation in accordance with the Act and Rules. The Authority has also called for additional information whenever required and verified the information furnished by the domestic industry.

ii. As regard the contention that the antidumping duty being in force for 17 years now and having served its intended purpose, it is noted that the Authority is examining as per the anti-dumping rules, the investigation scope is restricted to analyse injury caused by dumping and other factors if any. Further, the Domestic Industry has every right to seek protection, if exporters from the subject countries are indulged in dumping practice which is causing injury to Domestic Industry.

iii. It is important to appreciate that it is not necessary that all parameters show deterioration / injury. Some parameters may show deterioration, while other may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not.

iv. As regards the contention that the demand in the country is more than the supply ability of the producers, it is noted that the demand supply gap in country does not give license to any exporter to dump the subject goods in India. Moreover, anti-dumping duties does not intend to restrict the imports in India, the sole purpose of Anti-Dumping Duty is to create level playing field in the market for Domestic Industry and other suppliers / users of the subject goods in India.

v. The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) raised an issue that the Government of India has failed to fulfill its obligations under Article 5.5 of the Anti-dumping Agreement which requires that the investigating authorities of the importing member shall, before proceeding to initiate an investigation, notify the government of the exporting Member concerned. In the instant case, the DGTR dispatched the intimation letter to the KSA through speed post on 18.9.2019 while the investigation was initiated on 19.9.2019. The delivery through speed post is normally done the very next day but, in this case, it is the claim of the Government of KSA that they had received the intimation on 23.9.2019. The Authority noted that there is no dispute that the DGTR had indeed dispatched the letter notifying the Government of KSA before the investigation was formally initiated. The Designated Authority is of the view that the relevant date for the purpose of notifying under Article 5.5 is the date on which the notification is issued and not the date of receipt of the communication. In this context, it may be relevant to refer to Footnote 15 of the Anti-dumping Agreement where the language of the Footnote specifically refers to the date of "receipt" of the questionnaire as the relevant date for the purpose of reckoning the 30 days' time allowed to the exporters to respond to the questionnaire prescribed by the Authority. In contrast, Article 5.5 uses the word "notify" and not "receipt". Thus, it is clear that the Agreement has consciously used the word "notify" in Article 5.5 and, hence, the Authority is of the view that the two different terms used in the very same Agreement have to be given their full meaning and understood in the context they have been used. Thus, the procedure followed by the Authority is in accordance with India's obligations under Article 5.5 of the Anti-dumping Agreement and Rule 5 (5) of the Anti-Dumping Rules.

vi. As regards the claim of the interested parties that NIP is inflated and Domestic Industry is not suffering any injury, it is noted that NIP is strictly computed on the basis of the Annexure III of the Anti-Dumping Rules.. Further, only verified information is used for the injury analysis and therefore, all the concerns of the interested parties about costing information and injury to them is appropriately taken care off.

vii. The Authority noted that Dow India (related importer) in India has sold the subject goods even below its landed cost. Thereby they have not only received the landed price but also the additional expenses (Selling, General and Administration) expenses on the imported product. This non-recovery of proper cost has made the Domestic Industry to suffer injury.

40. As regards to the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

41. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra.

42. Further Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II state that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles….". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

43. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

Cumulative Assessment

44. Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that :a) Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

45. The Authority noted that: a) The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis

limits prescribed under the Rules. b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports. c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

46. In view of the above said analysis, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.

47. Rule11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....".While examining the volume of dumped imports, the Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

48. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

E4. Volume Effect of dumped imports

i. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

49. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DGCI&S.

50. The Authority has considered, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources as under:

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
2	Imports from Saudi Arabia	MT	0	0	15661	32027
3	Imports from UAE	MT	0	132	235	2819
4	Imports from Subject Countries	MT	0	132	15897	34846
5	Imports from Countries attracting ADD	MT	58424	38403	43741	39463
6	Import from Other Countries	MT	10050	19362	6932	9079
7	Total Imports	MT	68474	57897	66570	83388
8	Total Demand	MT	80,728	70435	81,124	96841

51. The demand of the subject goods has increased by around 20% i.e., from 80728 MT in the base year to 96841 MT in the POI.

ii. Volume Effect of Dumped Imports

Import volume and Share

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Saudi Arabia	MT	-	-	15,661	32,027
2	UAE	MT	-	132	235	2,819
3	Imports from the Subject Countries	MT	-	132	15,897	34,846
4	Imports from the Country Attracting ADD	MT	58,424	38,403	43,741	39,463
5	Other Countries	MT	10,050	19,362	6,932	9,079
6	Total	MT	68,474	57,897	66,570	83,388
	Share of Imports from					
7	Saudi Arabia	%	0%	0%	24%	38%
8	UAE	%	0%	0%	0%	3%
9	Subject Countries	%	0.00%	0.23%	23.88%	41.79%
10	Country Attracting ADD	%	85.32%	66.33%	65.71%	47.32%
11	Other Countries	%	14.68%	33.44%	10.41%	10.89%
13	Total	%	100%	100%	100%	100%
14	Production of Domestic Industry	MT	11,621	13,230	14,623	14,047
15	Subject Countries import in relation to					
A	Indian Production	%	0%	1%	109%	248%
B	Indian Demand	%	0%	0%	20%	36%

52. The volume of imports from the subject countries has shown a significant increase during the period of investigation in absolute terms as well as in relative terms as compared with overall imports, production, and demand.

E5. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Price Undercutting

53. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports.

S. No.	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Landed Price from Saudi Arabia	Rs/MT	-	-	111754	127497
2	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
3	Net Selling Price	Indexed	100	94	97	104
4	Price Undercutting	Rs/MT	-	-	***	***
5	Price Undercutting	Indexed	-	-	100	(898)
6	Price Undercutting	%	-	-	***	***
7	Price Undercutting	Range	-	-	(10) - 0	(10) - 0
8	Landed Price from UAE	Rs/MT	-	-	113690	123954
9	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
10	Net Selling Price	Indexed	100	94	97	104
11	Price Undercutting	Rs/MT	-	-	***	***
12	Price Undercutting	Indexed	-	-	100	(163)
13	Price Undercutting	%	-	-	***	***
14	Price Undercutting	Indexed	-	-	(10) - 0	(10) - 0

15	Landed Price from Subject Countries	Rs/MT	-	-	111783	127211
16	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
17	Net Selling Price	Indexed	100	94	97	104
18	Price Undercutting	Rs/MT	-	-	***	***
19	Price Undercutting	Indexed	-	-	100	(840)
20	Price Undercutting	%	-	-	***	***
21	Price Undercutting	Indexed	-	-	(10) - 0	(10) - 0

54. The Authority notes that the price undercutting is negative from the subject countries due to the fact that exporters from the Saudi Arabia export the subject goods to India at a high price and their related party resells the subject goods at a loss. Therefore, the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of the subject goods from the subject countries in the Indian market.

b. Price Suppression/ Depression

55. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Cost of sales	Rs /MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	92	96	101
3	Selling price	Rs /MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	94	97	104
5	Landed Price from the subject countries	Rs /MT	-	-	111783	127211
6	Trend	Indexed	-	-	100	114

56. From the above table, it is also noted that the imports of the subject goods from the subject countries were coming at prices above the sales price of the domestic industry. However, as observed above, the related parties of the exporter resells the subject goods at a loss, this has forced the domestic industry not to increase its prices in line with increase in cost of sales and has led to a situation where in the domestic industry has been forced to sell the subject goods at the levels below the cost of sales during POI ultimately causing adverse impact on the domestic industry

Price Underselling

57. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries, as follows.

SN	Particulars	UoM	Consolidated	Saudi Arabia	UAE
1	Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***
2	Landed Price	Rs/MT	127211	127497	123954
3	Price Underselling	Rs/MT	***	***	***
4	Price Underselling	%	***	***	***
5	Price Underselling	Range	0-20	0-20	0-20

58. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods (as per DGCI&S) to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/ data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of the subject imports was below the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table above, demonstrating positive price underselling effect. From the aforesaid table, it is noted that price underselling from the subject countries during the POI is positive. The Authority notes that the price underselling amount is lesser due to the fact that exporters from the subject countries exported the subject goods to India at a high price and their related party then resells the subject goods at a loss. Therefore, the real impact of price underselling is not showcasing from the import data.

E6. <u>Economic Parameters relating to the Domestic Industry</u>

59. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, and ability to raise capital investments.

60. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analysed herein below:

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	100	100
3	Production - Polyol	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	116	130	137
5	Capacity Utilization – Polyol	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	116	131	138
7	Production – PUC	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	114	126	121
9	Domestic Sales Volume – PUC	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	102	119	110

61. It is noted that the capacity of the Domestic Industry has remained same throughout the injury investigation period. The capacity is for all types of polyols which includes subject goods also. The capacity utilization has shown an increase during the injury period which is largely on account of the production of the non-PUC products. The production and sales volume of the product under consideration shows decline during the POI as compared to 2017-18 despite increase in the demand in India.

Market Share in Demand

62. The market share of the domestic industry moved as shown below:

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
2	Imports from Saudi Arabia	MT	0	0	15661	32027
3	Imports from UAE	MT	0	132	235	2819
4	Imports from Subject Countries	MT	0	132	15897	34846
5	Imports from Countries attracting ADD	MT	58,424	38,403	43,741	39,463
6	Import from Other Countries	MT	10,050	19,362	6,932	9,079
7	Total Imports	MT	68474	57897	66570	83387.947
8	Total Demand	MT	80728	70435	81124	96841
9	Share in Demand					
10	Domestic Industry	%	***	***	***	***
11	Saudi Arabia	%	0%	0%	19%	33%
12	UAE	%	0%	0%	0%	3%
13	Subject Countries	%	0%	0%	20%	36%
14	Countries attracting ADD	%	72%	55%	54%	41%
15	Other Countries	%	12%	27%	9%	9%
16	Total Imports	%	85%	82%	82%	86%

63. The domestic industry's market share in demand has declined in the POI as compared to the preceding years. However, during the same period market share of the subject countries increased.

Profitability, return on investment and cash profits

64. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	92	96	101
3	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	94	97	104
5	Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	(100)	(62)	(73)	(42)
7	Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	(100)	(63)	(87)	(47)
9	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	(100)	(62)	(82)	(44)
11	Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	(100)	(56)	(79)	(37)
13	ROCE	%	***	***	***	***
14	Trend	Indexed	(100)	(57)	(64)	(21)

65. The domestic industry continued to suffer losses throughout the injury investigation period. Domestic Industry has claimed that since the producers and related importers from subject countries are giving post sales discount to match the prices of the exporters from Singapore, they were not able to improve their financial performance in relation to subject goods.

Inventories

66. Inventories with the domestic industry is as follows:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	48	77

67. It is noted from the table above that the average inventory of the Domestic Industry has reduced in the POI as compared to the base year. However, the same is increased as compared to the immediately preceding year i.e., 2017-18.

Employment and productivity

68. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Productivity per Day	MT/day	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	114	126	121
3	Employment (Nos)	Nos.	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	100	100	100

69. While employment indicated a stable trend between 2015-16 and POI, productivity of the domestic industry increased during the same period. Therefore, productivity is not the cause of injury to the Domestic Industry.

Magnitude of Dumping

70. The Authority has undertaken evaluation of dumping margin for cooperating producers/exporters during POI as stated in the earlier paras. The dumping during POI from the subject countries for cooperative producer/exporters is above de-minimis levels and is significant.

Ability to raise Capital Investment:

71. The significant decline in profitability and return on investment indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector could be adversely affected due to continued dumped imports from the subject countries.

Growth:

Growth Table

Particulars	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Production	-	13.84%	10.53%	(3.94)%
Domestic Sales	-	2.31%	16.09%	(7.56)%
Market share	-	2.62%	0.14%	(4.05)%
Profitability	-	38.41%	(33.33)%	46.55%
ROCE	-	42.86%	(12.50)%	66.67%
Inventories	-	(18.88)%	(40.52)%	59.42%

72. The growth of the Domestic Industry continues to be negative for most of the price parameters. The domestic industry has submitted that continued pressure from the exporters has made the situation of the Domestic Industry very vulnerable.

E7. Factors affecting domestic prices

73. The examination indicates that the demand in India for the subject goods is not a limiting factor for the growth of the domestic industry. The import prices from the subject countries are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of the subject goods from the subject countries are below non-injurious price of the domestic industry. Further, landed prices of subject goods from the subject countries have depressed prices of the Domestic Industry. The imports of the product under consideration from countries other than the subject countries and countries already attracting anti-dumping duties are negligible and are claimed not to be injurious to the domestic industry. The Demand for the product in this industry has not declined, and, therefore, could not have been a factor responsible for price suppression faced by the domestic industry. Thus, main factor affecting the adverse impact on the domestic industry is the adjusted landed prices of subject goods from subject countries.

E8. Magnitude of injury margin

74. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price (LP) from each of the subject countries for calculating injury margin (IM). In line with the determination of dumping margins, the injury margin has also been determined for the related companies taking them together as one entity.

75. As mentioned in the dumping margin analysis in this Findings, it is noted from the response filed by the subject countries from Saudi Arabia that their Indian related entity has incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent companies through different trading channels. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which included import prices and SGA of the Indian subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price.

Injury margin Table

Country	Producer	Non-Injurious Price (US$/MT)	Landed Value (US$/MT)	Injury Margin (US$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	***	***	***	***	0-10
Saudi Arabia	Others	***	***	***	***	10-20
UAE	All Producers	***	***	***	***	0-10

76. It is noted that injury margin is positive and significant for cooperating producer and subject countries for POI.

E9. Other Known Factors & Causal Link

77. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

78. Apart from countries already attracting anti-dumping duties, imports from other sources are below the *de-minimis* levels. Thus, it can be concluded that the imports from the other countries were not causing injury to the Domestic Industry during the POI.

b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

79. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

80. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

d) Development of Technology

81. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. It is further noted that technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

e) Export performance of the domestic industry

82. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis due to developments in technology.

83. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

f) Productivity

84. The Authority noted that the productivity of the Domestic Industry has increased over the injury period. Therefore, the Domestic Industry has not suffered injury on this account.

85. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury on account of them. None of the interested parties has also provided any evidence to suggest that the material injury caused to the Domestic Industry is attributable to other known factors.

E10. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

Post disclosure statement comments:

Submissions by Other interested parties

86. The following submissions are made by other interested parties:

a. That the Authority has effectively granted only three working days to the interested parties to file their comments on the Disclosure Statement. It is further submitted that the time given to the parties for filing their comments is inadequate and opposed to the practice followed by the Authority in other investigations and therefore, the time given cannot be said to be adequate.

b. That the technology used by the Domestic Industry and exporters to produce the subject goods are different and this factor has not been analyzed by the Authority in the disclosure statement. It was further submitted that the goods produced by DMC technology has a difference in hardness, resilience, tensile and tear strength and therefore, the goods imported by the EPSPL and produced by the Domestic Industry cannot be considered as like article. The KOH processing is adopted by Domestic industry, therefore, producers/users for certain end applications prefer subject goods produced from DMC technology because of its superior quality. In view thereof, they have demanded the exclusion of the subject goods produced by DMC technology.

c. That the present Disclosure Statement is per-se incomplete as the non-confidential version of Annexure-IV (methodology for computation of NIP) has not been provided to Sadara/Dow and other interested parties.

d. That the Government of Saudi Arabia has never received the letter issued 18.9.2019 by the DGTR before initiation of the investigation in terms of Article 5.5. as also mentioned in the disclosure statement. Further, the letter received on 23.9.2019, was post initiation intimation by the DGTR and said letter cannot be said in accordance with the requirement of Article 5.5. It is further submitted that the present investigation needs to be terminated against Saudi Arabia.

e. That the Authority has erroneously computed the normal value to determine the dumping margin. It is further submitted that the Authority has wrongly disallowed the deduction of inter-unit profits for arriving at the Cost of Production, they have relied upon DS529 to strengthen their submissions that the Authority ought to have adjusted profit element on inputs for determining the cost of production for the subject goods.

f. That the Authority wrongly adjusted the losses incurred by the related importer in the landed value of Sadara Chemical Company. They have requested the Authority not to adjust the losses incurred by the related importer in the landed value, as the same has direct implications on the injury margin. The exporter has also submitted that there is no provision under the law which enables the Authority to deduct loss incurred by the related exporter from the landed value.

g. That the Domestic Industry is not suffering any injury on the subject goods as evident from their Annual Reports. Further, there is no causal link between the alleged injury and imports from the subject countries. Further, the Authority has not analyzed the injury parameters in terms of Annexure II of the Rules.

h. That the Authority should have analysed price undercutting and price underselling after adjustment of losses from the landed value. It is further submitted that due to capacity constraints, the Domestic Industry was not able to increase its production and sales in the growing market.

i. That the import data filed by the Domestic Industry and used by the Authority in the disclosure statement has vast variations and therefore, any analysis based on this data will be incorrect and therefore, the exporter request for fresh analysis of the data.

j. That how the Authority has segregated capacity, production, capacity utilization and other economic parameters for domestic and export operations. The exporters have also requested for the methodology for segregating such parameters. Further, the Authority has not provided the methodology for considering POI rates for the inputs used by the Domestic Industry for production of PUC. They also requested the Authority to confirm, whether the rates considered are true reflective of market prices or not. It is further requested to discard the abnormal increased in water cost and impact of closure of Plant I for 22 days during the POI.

k. That the Authority should nullify the impact of expenditure on bio-mass captive power plant for the purpose of NIP which was not in use during the POI. It is further requested to provide the items not considered for the NIP and reasons for not considering the same. Further, they have also requested that the Authority should have considered average historical rate of return and not the inflated return of 22% for calculating NIP.

Submissions by the Domestic Industry

87. The following submissions are made by other interested parties:

a. That the onus of substantiating the claim of exclusion of certain specifications / types from the scope of the product under consideration, the obligation to prove the same with sufficient evidence lies with the party claiming such exclusion. The Domestic Industry further submitted that no reliable and material evidence carrying detailed technical parameters of these desired exclusions from the scope of the product under consideration have been placed by any of the interested parties to help the Authority to establish conclusively that aforementioned specifications / forms of the product under consideration are not like articles and are not technically and commercially substitutable. Further, none of the participating exporters or importers have also raised such an issue or assisted the Authority in reaching the determination. In view of the above, the Domestic Industry humbly requests the Hon'ble Authority to kindly reject the submission made in relation to the product under consideration and confirm the scope of the product under consideration in the final findings as mentioned in the disclosure statement.

b. That the submission of the Government of Saudi Arabia relating to non-receipt of intimation prior to the initiation notification, Domestic Industry has submitted that the Government of Saudi Arabia had failed to appreciate the requirement of intimation under the Article 5.5. Further, post initiation also, DGTR has allowed the responding parties forty days to file the questionnaire response from the "date of the letter" and not from the date of the initiation notice. In any case, the time limit allowed to the responding parties including the Government of Saudi Arabia began on the day letters were dispatched and therefore, no prejudice can be caused to any interested parties including the Government of Saudi Arabia. In view thereof, Domestic Industry requested the Authority to reject the submission made by the Government of Saudi Arabia.

c. That the exporters from UAE should not get any undue advantage in the computation of dumping margin and injury margin due to their non-participation and requested the Authority to kindly adjust their landed value and export price based on the data filed by importers and other facts available with the Authority.

d. Domestic Industry has also requested the Authority to confirm the injury margin and dumping margin computed for the subject countries in the disclosure statement in the final findings.

Examination by the Authority:

88. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and have been examined and addressed in the disclosure statement and in the foregoing parts of the present findings. The findings above deal with all such arguments of the domestic industry and other interested parties. However, the Authority has examined these submissions herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.

89. As regards the submission of the exporter that the Authority did not allow sufficient time for filing of comments on the disclosure statement, the Authority notes that there is no prescribed time limit which has to be necessarily adhered to by the authority. The authority provided sufficient time to provide the comments on the disclosure statement in view of the facts and circumstances of the case. Further, it is important to note that there was no request by the exporter seeking additional time for filing their comments on the disclosure statement. Moreover, they have also not provided any reason legal or otherwise, that the time allowed by the Authority is insufficient and that they have faced serious issues in preparing the comments on the disclosure statement. In view thereof, the Authority rejects the submission made only with the intent to obfuscate the investigation and to delay the proceedings.

90. In relation to issues relating to the difference in technology and subsequent quality of the product produced by the Domestic Industry, the Authority notes that neither the difference in technology nor the alleged quality differences can per se be a ground for exclusion of any product or for the purposes of either the dumping margin or the injury analysis. It is further noted that the Domestic Industry is supplying subject goods to large numbers of customers and their quality is acceptable to all. In any case, none of the interested parties has provided any evidence to substantiate their claim that goods produced by the Domestic Industry with existing technology cannot be used by them due to quality and other technical issues. The Authority, therefore, holds that different technologies cannot form the basis of any conclusion by the Authority as long as the products are technically and commercially substitutable.

91. As regards the submission that the Disclosure Statement is incomplete, it is noted that the Authority has circulated the non-confidential version of Section IV of the disclosure statement to all the interested parties, as soon as it was brought to the notice of the Authority, and had granted additional time to all interested parties to submit responses/comments, if any.

92. In respect to the submission of Government of Saudi Arabia regarding intimation in accordance to Rules, it is noted that the DGTR has forwarded the intimation letter in terms of its obligation under Rule 5(5) and Article 5.5 prior to the initiation of the investigation. Therefore, the DGTR has acted in accordance of its international and national obligation, and no prejudice is caused to the rights and interests of the Government of Saudi Arabia or its exporters in any manner whatsoever. Without prejudice to the aforesaid, the Authority has granted an extension to the exporters of Saudi Arabia and extended the time to all interested parties to file their responses.

93. As regards the argument that Normal Value should be computed based on actual cost associated with production and sale of the article under consideration, it is noted that during the Covid time the Authority has not verified data by visiting the said units but has conducted only desk verification and complete reliance has been placed on the certified documents and other information submitted to the Authority. During desk verification, Sadara has filed the Income Statement for company as a whole and for the PUC for the POI. They have also provided other information including SAP server screen shots, raw material details, Variable Margin Report (VMR) for the company and PUC. The VMR has been developed by Sadara by utilizing the SAP Business Intelligence reporting from Sadara's ERP (SAP) system. All these documents have been taken on record during the desk verification.

94. As regards request to allow deduction of notional profit for computing Normal Value, it is noted as per the information provided by the company that Sadara has adopted a cost centre approach for determining the cost of input material. It is a multi-product company with certain affiliated/ JV companies engaged in supply of input material for production of subject goods and other products of the company. To produce subject goods Sadara has procured input materials from affiliated/ JV companies at market prices for production of intermediate product i.e., propylene Oxide which is subsequently consumed captively for production of PUC. As per the Company, inputs are transferred at contract price (cost plus profit) which is at par with the external price/market price. During such desk verification, it was noticed that there is a difference between the loss as per VMR generated by their SAP system and as claimed by them in Appendix 7 for the PUC. It has been observed that M/s. Sadara has adjusted the cost while claiming the same in Appendix 7/8 submitted in EQR. During desk verification /reconciliation with VMR of the company, it has been noted that company has excluded the element of profit while transferring the PO (captive raw-materials) and adjusted the share of Sadara JV profit in the cost of PUC also. Also, the finance cost has been claimed by the company on the lower side. VMR is an authentic SAP document as claimed by the company and has been relied upon to determine the cost of production. Further, the company also stated that they are following a profit centre concept and PO cost has been transferred to PUC at cost plus profit. In view of the above, the VMR has been accepted and ex-factory cost of production has been worked and considered to determine the Normal Value.

95. The Authority further notes that the information provided by the producer in various appendices has been verified by the Authority in terms of the Annexure I of the AD Rules as per the consistent practice of the Authority. In relation to rejection of deduction of profit from the cost of production, it is noted that the Authority has deducted the profit in term of the Annexure I of the AD Rules to ascertain the actual cost of production for determining whether the domestic sales were made in ordinary case or not. Therefore, the contention of the exporter is misplaced and incorrect.

96. As regards the adjustment in landed value, it is noted that since India is following lesser duty rule, in which duty is restricted to the lower of dumping margin and injury margin, it is important to make appropriate adjustment in landed value so that the Domestic Industry gets genuine protection from the dumped imports. It is also important that losses by the related importer are also adjusted in the export price for determining the dumping margin. Therefore, it is legally and logically appropriate to adjust losses in the landed value, when the related import of the exporter is selling the subject goods in India at lower prices. It is this lower price that is effectively injuring the Domestic Industry. In view of the aforesaid, the Authority considers it appropriate to deduct the losses from the landed value.

97. The Authority further notes that the analysis of the injury being suffered by the Domestic Industry has been made on the basis of an objective analysis of the injury parameters in terms of the Annexure II of the AD Rules. Moreover, all the concerns raised by the interested parties are already dealt in detail at the relevant places of these final findings.

98. In relation to the submission of an exporter that the Authority should have made the price undercutting and price underselling examination after adjusting losses, it is noted that the price undercutting and price underselling is made taking into account the import quantity and value as per DGCI&S data. However, for the purpose of injury margin, , it is noted from the response filed by the exporter from Saudi Arabia that their Indian related entity have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent companies through different trading channels. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which included import prices and SGA of the Indian subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price for the purpose of determining the injury margin.

99. As regards the submission relating to limitation of capacity and production, it is noted that the Domestic Industry was under price pressure from the exporters from the subject countries to sell their product. Further, the Domestic Industry still has the unutilized capacity, which indicates that the Domestic Industry was not able to increase its production and market share because of price pressure created by the exporters.

100. As regards the claim relating to the difference in import data filed in the petition by the Domestic Industry and used by the Authority in the disclosure statement, it is noted that the Authority has segregated the import data received from the DGCI&S based on its description and brand names mentioned in the transactions. Further, the data relied on in this finding has been checked and examined by the Authority. Further, the data used by Authority ~~is~~ also corroborates with the data submitted by the exporter.

101. In relation of the submissions regarding computation of NIP, it is noted that the Authority has computed the NIP in accordance the principles laid down in Annexure III and the standard costing principles in relation to the determination of capacities etc. when the facilities are not dedicated. The cost related numbers have predominantly changed due to the revised data furnished by the Domestic Industry during verification. It is important to mention that the revised data verified by the Authority has resulted in reduction of the cost of the sales of the Domestic Industry, and consequently the NIP determined is now based on the revised data. Therefore, the Authority notes that the contentions raised by the interested parties do not have any merit and hence, cannot be accepted. The Authority also notes that some of the details sought by the exporter cannot be provided as the Authority, as a matter of consistent practice, allows the claim of confidentiality to the applicant. Therefore, the Authority notes that the contentions raised by the interested parties do not have any merit and hence, cannot be accepted.

E11. Examination by the Authority on injury and causal link

102. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports reveals that there is an increase in the volume of imports of subject goods from the subject countries during the injury investigation period in absolute terms as well as in relation to the total imports, domestic production and total demand in the country. With regard to price effect, it is noted that The Authority notes that the price undercutting is negative from the subject countries due to the fact that exporters from the subject countries export the subject goods to India at a high price and their related party resells the subject goods at a loss. Therefore, the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of the subject goods from the subject countries in the Indian market, and the price analysis on the basis of the import data has no material bearing on the case, as the same is not reflective of the true numbers. It is noted that landed price of subject goods from subject countries have suppressed the selling price of domestic industry, and as a result, the domestic industry is selling the subject goods at a price below its cost of sales. With regard to impact of volume and price effect on the domestic industry, it is noted that it is noted that sales and market share of the domestic industry has been adversely affected. It is also noted that .sales, production and capacity utilization of the domestic industry has not increased in line with increase in demand, and the capacity utilization of the domestic industry remains suboptimal. Further, it is also noted that profitability of the domestic industry has been adversely affected on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries.

103. It is also noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

a. Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms during the POI as compared to the preceding year i.e., 2017-18. Imports of the PUC from the subject countries have also increased in absolute terms as well as increased relative to production and consumption in India.

b. The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.

c. Market share of the Domestic Industry has decreased during the injury period even though demand for the subject goods has been rising in India during the same period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.

d. The resale prices of the subject goods by related importers of the exporters of the subject goods from the subject countries were undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce its prices to match the resale prices by the related importers. The price depression suffered by the domestic industry is primarily because of dumping of the product in the country.

e. Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments deteriorated as a result of price depression. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.

104. The Authority, therefore, concludes that the Domestic Industry has suffered material injury due to dumped imports of subject goods from subject countries.

F. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES.

105. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

106. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

G. CONCLUSION

107. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in these final findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping.

b. The Domestic Industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.

c. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

H. RECOMMENDATION

108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

109. In terms of provision contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries.

Duty Table

S. No	Heading /Sub-heading	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Saudi Arabia	Any	Sadara ChemicalCompany	150.06	USD	MT
2	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any	Any other than at Sl. No 1 above	235.02	USD	MT
3	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Saudi Arabia	Any	235.02	USD	MT
4	-do-	-do-	UAE	Any	Any	101.81	USD	MT
5.	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	UAE	Any	101.81	USD	MT

110. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.01 22:31:28 +05'30'